[2020] 11 एस. सी. आर. 200

वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। (EARLIER को वोडाफोन के रूप में पता है

मोबाइल सेवाएँ सीमित)

वी.

आय कर के सहायक आयुक्त

क्रम 26 (2) और ए. एन. आर.

(2020 की सिविल अपील संख्या 2377)

29 अप्रैल, 2020

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: s.143 (1) और s। 143 (2) – व्यायाम

शक्ति के तहत-के बीच अंतर-आयोजितः एस के तहत। 143 (1) , मामला संसाधित किया जाता है, केवल यह जांचने के लिए कि क्या कोई स्पष्ट है

वापसी और जुड़ी हुई सामग्री के चेहरे पर विसंगतियां स्पष्ट हैं जो एस के तहत किसी भी समायोजन की आवश्यकता हो सकती हैं। 143 (2) , ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखने के बाद मामले की जांच की जाती है जो निर्धारिती प्रस्तुत कर सकता है-एस में अभ्यास। 143 (2) यह सुनिश्चित करने के लिए

आय को कम करना या हानि को अधिक बताना या किसी भी तरह से कर का भुगतान करना नहीं है-उप-धारा के तहत शक्ति

(1) एस. 143 सारांश प्रकृति में ऐसे समायोजन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो वापसी से स्पष्ट हैं जबकि उप-धारा (2) और (3) के तहत वापसी की जांच करना और गहन जांच करना है।

निर्धारिती के दायित्व के सही निर्धारण पर पहुंचना-दूरसंचार।

आय कर अधिनियम, 1961: s.143 (1) और s। 143 (2) - के संबंध में

31 मार्च, 2017 को या उससे पहले समाप्त होने वाले निर्धारण वर्ष, यदि धाराओं की उप-धारा (2) में बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप कोई सूचना जारी की गई थी। 143 अधिनियम की उप-धारा (1) के तहत धनवापसी की प्रक्रिया करना आवश्यक नहीं होगा। 143 अधिनियम और वापसी को संसाधित करने की आवश्यकता को ओवरराइड किया जाएगा।

आय कर अधिनियम, 1961: s.143 (1) और s। 143 (2) - क्या निर्धारिती को कोई सूचना देने की आवश्यकता है कि किस कारण से

धाराओं की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार कार्यवाही शुरू करना। 143 , एस की उप-धारा (1) के संदर्भ में वापसी का प्रसंस्करण। 143 अधिनियम का, स्थगित रहेगा-आयोजितः एस की उप-धारा (1ए)

के संदर्भ में वापसी का प्रसंस्करण। 143 केंद्रीकृत प्रसंस्करण और उप-धारा (1) के तहत प्रसंस्करण के दायरे के माध्यम से किया जाना है

एस. 143 अधिनियम का विशुद्ध रूप से संक्षिप्त रूप है-एक बार गहरा

200 वोडाफोन आइडियल. (EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2)

जाँच की जाती है और इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है कि क्या किसी भी तरह से कर से बचा हुआ है, उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करना ही पर्याप्त संकेत है-धाराओं की उप-धारा (1 डी)। 143 अधिनियम की किसी भी सूचना को जारी करने या इस बात को ध्यान में रखने पर विचार नहीं करता है कि प्रसंस्करण को स्थगित रखा जाना चाहिए-इसलिए, उक्त प्रावधान को पढ़ने के लिए आवश्यक नहीं होगा।

अलग सूचना-धाराओं की उप-धारा (2) के तहत सूचना जारी करना। 143 आवश्यक परिणाम को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है-कोई अन्य

सूचना पर न तो क़ानून द्वारा विचार किया गया है और न ही यह प्राप्त होगा कोई भी उद्देश्य।

आय कर अधिनियम, 1961: s.241-ए-पहली तारीख को या उसके बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के संबंध में दाखिल की गई विवरणी की प्रयोज्यता

अप्रैल, 2017 - s.241-अधिनियम के ए के लिए एक अलग रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है

निर्धारण अधिकारी की ओर से यह संतोष कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धाराओं की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है। 143 , धनवापसी के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसके बाद, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, धनवापसी को रोका जा सकता है-क्योंकि क़ानून अब एक विशेष तरीके से धनवापसी को रोकने की शक्ति का प्रयोग करने की परिकल्पना करता है,

01.04.2017 के बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष में अधिनियम की धारा 241-ए की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।

आय कर अधिनियम, 1961: s.241-A-धनवापसी को रोकना चाहे ए. वाई. 2017-18 का संबंध हो, आदेश दिनांकित है।

14.03.2019 यू/एस। 241 - ए आवश्यक वैधानिक मापदंडों को संतुष्ट करता है।

या नहीं-आयोजितः एस की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में। 143 अधिनियम के तहत, उक्त उप-धारा के तहत आवश्यक सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिए जिसमें विवरणी दी जाती है-ए. वाई. 2017-18 के संबंध में, विवरणी 25.11.2017 पर दाखिल की गई थी, उक्त दूसरे परंतुक के संदर्भ में उपलब्ध अवधि 31.03.2019 तक थी, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि संशोधित विवरणी 13.07.2018 पर दाखिल की गई थी-इस मामले में, 14.03.2019 पर शक्ति का प्रयोग केवल धाराओं की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद ही नहीं किया गया था। 143 और रिकॉर्डिंग के बाद

एस के संदर्भ में उचित संतुष्टि। 241 - अधिनियम का ए, लेकिन धाराओं की उप-धारा (1) द्वारा विचार की गई अवधि के भीतर भी था। 143 उचित सूचना देने के लिए अधिनियम।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 धारा 143 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में छह उप-खंड हैं जो समायोजन के प्रकारों को निर्दिष्ट करते हैं जो हैंः

कुल आय या हानि की गणना करने के लिए किया जाना आवश्यक है। इस तरह के समायोजन "वापसी में अंकगणितीय त्रुटि" की प्रकृति में हैं; गलत दावा "वापसी में किसी भी जानकारी से स्पष्ट"; नुकसान की अस्वीकृति यदि पिछले वर्ष की वापसी के संबंध में

जिस पर ऐसी हानि का दावा किया गया है, वह "नियत तिथि के बाद" प्रस्तुत की गई थी; लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इंगित व्यय की अस्वीकृति यदि उसने "कुल आय की गणना में ध्यान में नहीं रखा है"; उपखंड में निर्दिष्ट कटौती की अस्वीकृति यदि "विवरणी नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की गई है"; और उपखंड (vi) में निर्दिष्ट आय का जोड़ यदि वह "कुल आय की गणना में शामिल नहीं" था। ये सभी विशेषताएं उन मामलों से संबंधित हैं जो वापसी से स्पष्ट हैं और असंगति इसके चेहरे पर स्पष्ट है। निर्धारिती को उचित सूचना या सूचना के बाद इस तरह के समायोजन करने पर, कर, ब्याज और शुल्क के तत्व की गणना खंड (बी) के संदर्भ में की जानी है। इसके बाद, खंड (ग) के संदर्भ में, भुगतान की गई कर राशि और किसी भी स्वीकार्य राहत के लिए देय ऋण दिया जाना है और देय या देय शुद्ध राशि

धनवापसी की गणना की जानी है। खंड (घ) के तहत उत्पन्न की जाने वाली सूचना इस तरह के अभ्यास के आधार पर है और यदि कोई धनवापसी होती है देय होने पर, इसे खंड (ई) के संदर्भ में प्रदान किया जाना है। इस प्रकार, उप-धारा (1) के प्रत्येक चरण में, द्वारा प्रस्तुत विवरणी

निर्धारिती आधार बनाता है, जिसके संबंध में, यदि खंड (ए) के विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट विसंगतियों में से कोई भी पाई जाती है, तो उचित समायोजन किए जाने चाहिए। [पैरा 12] [237-बी-एफ] 1.2 दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग, जिससे उसकी उप-धारा (3) का आदेश पारित किया जा सके, किया जाना है, जहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन माना जाता है कि निर्धारितीः आय को कम नहीं किया है, या अत्यधिक नुकसान की गणना नहीं की है, या किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है। नोटिस जारी करना और परिणामी कार्यवाही इनमें से किसी एक पर आधारित होती है -

उपरोक्त तीन अभिधारणाएँ। दूसरे शब्दों में, स्वयं निर्धारिती द्वारा दाखिल विवरणी में आगे की जांच और गहन विचार की आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि वोडाफोन आदर्श है।

(EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2)

आय कम नहीं बताई गई है या हानि अधिक नहीं बताई गई है, या कर किसी भी तरह से कम भुगतान नहीं किया गया है। नोटिस जारी होने पर, निर्धारिती अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार होता है। निर्धारिती को सुनने और साक्ष्य पर विचार करने के बाद प्रस्तुत करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, कुल आय या हानि का आकलन किया जाना है। [पैरा 12] [237-एफ-एच; 238-ए-बी]

सी. आई. टी वी. गुजरात विद्युत बोर्ड (2003) 260 आईटीआर 84

संदर्भित किया गया।

1.3 अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति प्रकृति में संक्षिप्त है जिसे समायोजन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो

विवरणी से स्पष्ट होते हैं जबकि उप-धारा (2) और (3) के तहत विवरणी की जांच करना और निर्धारिती के दायित्व के सही निर्धारण तक पहुंचने के लिए गहन जांच करना है।

इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) और (3) के तहत शक्ति का प्रयोग विवरणी से जो स्पष्ट है उसकी अस्वीकृति न करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी भी तरह से कर से कोई बचाव न हो। इस तरह की शक्ति का आयाम वापसी से जो उपलब्ध है, उसके संबंध में किए जाने वाले केवल समायोजन से कहीं अधिक बड़ा और गहरा है। एक बार जब इस तरह की जांच की जाती है और धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह विसंगत और असंगत होगा कि इस तरह से शुरू की गई कार्यवाही लंबित होने पर भी धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत वापसी की प्रक्रिया की जाए, जिसमें किसी दिए गए मामले में धनवापसी का भुगतान शामिल हो सकता है। तार्किक रूप से, उप के तहत नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कवायद का परिणाम

धारा 143 की धारा (2) को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कोई धनवापसी देय और देय है। यदि वापसी स्वयं जांच और जांच के अधीन है, तो इस तरह की वापसी तब तक धनवापसी के दावे को बनाए रखने का आधार नहीं हो सकती जब तक कि ऐसी जांच पूरी नहीं हो जाती। धारा 143 के इन दो अंगों के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत वापसी की प्रक्रिया को जांच की शक्ति के आगे के प्रयोग की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

धारा 143 की उप-धारा (2) और (3) के तहत मूल्यांकन। यदि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति शुरू की जाती है

कानून को ज्ञात तरीके से, इस बात का कोई आग्रह नहीं किया जा सकता है कि धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत प्रक्रिया पूरी की जाए और धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार जांच पूरी होने से पहले धनवापसी की जाए। इस निष्कर्ष को मजबूत [2020] 11 एस. सी. आर.

और धारा 143 की उप-धारा (1 डी) में उस प्रभाव के लिए स्पष्ट शर्त द्वारा मजबूत किया गया। उक्त प्रावधान के पाठ में कुछ बदलाव के बावजूद, जिसे वित्त अधिनियम 2016 द्वारा पेश करने की मांग की गई थी और जिसे वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, विधायी इरादा अभिव्यक्ति, 66 "से स्पष्ट है। जहां निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है, वहां विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी।

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा विवरणी निर्दिष्ट करने की मांग की गई थी, प्रावधान में ऐसी अवधि की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा कि आज है। प्रावधान से उपरोक्त उद्धृत भाग और अबाधित खंड का उपयोग पर्याप्त स्पष्टता के साथ संसद के इरादे को इंगित करता है कि जिन मामलों में उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है और कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां उप-धारा (1) के तहत विवरणी का प्रसंस्करण आवश्यक नहीं होगा। [पैरा 13 15] [238-ई-एच; 239-ए-ई]

मोहम्मद. इब्राहिम बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय

न्यायाधिकरण, मद्रास (1970) 2 एस. सी. सी. 233; सोहनलाल और अन्य बनाम। अमीर चंद और बेटे और अन्य (1973) 2 एस. सी. सी. 608 [1974] 1 एस. सी. आर. 453; अपर इंडिया केबल कंपनी और अन्य बनाम। बाल किशन (1984) 3 एस. सी. सी. 462; बृज किशोर शर्मा और अन्य बनाम। राम सिंह और बेटे और अन्य (1996) 11 एस. सी. सी. 480: [1996] 7 पूरक। एससीआर 152; रासम्मल इस्सेथीरामल फर्नांडीज आदि। जूसा मरियम फर्नांडीज और अन्य (2000) 7 एससीसी 189:

[2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 336-संदर्भित।

1.4 सामान्य सिद्धांत के विपरीत, जो एक विशेष तरीके से किसी कार्रवाई को अनिवार्य करता है, जब कोई अपवाद बनाया जाना है, तो प्रासंगिक प्रावधान इस तरह के सामान्य सिद्धांत द्वारा अनिवार्य तरीके का पालन करने और उसका पालन करने के लिए "आवश्यक नहीं होगा"; और यदि इस तरह के अपवाद द्वारा विचार की गई आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो सामान्य सिद्धांत को ओवरराइड किया जाना है। इरादा यह है कि

धारा 143 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले सामान्य सिद्धांत को ओवरराइड किया गया है, उस स्थिति में जहां कार्यवाहियां हैं

अधिनियम की उप-धारा (2) के तहत सूचना के अनुसार शुरू किया गया, उप-धारा (1 डी) में गैर-निषेध खंड के उपयोग से अधिक स्पष्ट और जोर दिया जाता है। परिसर में, 31 मार्च 2017 को या उससे पहले समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, यदि कोई नोटिस वोडाफोन आईडीएलटीडी जारी किया गया था।

(EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2)

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) में वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रक्रिया करना आवश्यक नहीं होगा अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत धनवापसी और यह कि धनवापसी को संसाधित करने की आवश्यकता ओवरराइड होगी। [पारस 16,17,18] [240-बी-डी; 241-डी]

वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम। नानासाहेब गोपाल जोशी (2017) 14 एस. सी. सी. 373; भारत संघ बनाम। जी. एम. कोकिल (1984) सप. एससीसी 196: [1984] एस. सी. आर. 292-संदर्भित।

3.1 यह मुद्दा कि क्या निर्धारिती को कोई सूचना देने की आवश्यकता है कि कार्यवाही शुरू होने के कारण अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत सूचना देना, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के संदर्भ में विवरणी का प्रसंस्करण, स्थगित रहेगा। अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1ए) के संदर्भ में वापसी का प्रसंस्करण केंद्रीकृत प्रसंस्करण और उप-धारा के तहत प्रसंस्करण के दायरे के माध्यम से किया जाना है।

अधिनियम की धारा 143 की धारा (1) विशुद्ध रूप से सारांश में है

अलग सूचना। धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करना आवश्यक परिणाम को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी। अन्य सूचना पर न तो क़ानून द्वारा विचार किया गया है और न ही यह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करेगा। नतीजतन, निवेदन है कि

अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर कि यह उस अवधि के ठीक बाद जारी किया गया था जिसके भीतर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत विवरणी को संसाधित करने की आवश्यकता थी, इसे अमान्य माना जाना चाहिए। [पारस 19,20] [241-ई

एच; 242-ए-बी]

3.2 जहां तक निर्धारण वर्ष के संबंध में दाखिल किए गए विवरणी का संबंध है

1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद, संसद द्वारा एक अलग व्यवस्था पर विचार किया गया है। अधिनियम की धारा 241-ए में निर्धारण अधिकारी की ओर से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक नोटिस में [2020] 11 एस. सी. आर. है, संतुष्टि की एक अलग रिकॉर्डिंग की आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत जारी किए गए धनवापसी अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; जिसके बाद, प्रधान आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से या

आयुक्त और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, धनवापसी रोकी जा सकती है। चूंकि कानून में अब एक विशेष तरीके से धनवापसी रोकने की शक्ति का प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए 01.04.2017 अधिनियम की धारा 241-ए की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। [पैरा 21] [242-सी-डी]

4. धारा की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में

143 अधिनियम के अनुसार, उक्त उप-धारा के तहत आवश्यक सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिए जिसमें विवरणी दी जाती है। ए. वाई. 2017 18 के संबंध में, रिटर्न 25.11.2017 पर दाखिल किया गया था, उक्त दूसरे परंतुक के संदर्भ में उपलब्ध अवधि 31.03.2019 तक थी, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि संशोधित रिटर्न 13.07.2018 पर दाखिल किया गया था। वर्तमान मामले में, शक्ति का प्रयोग

14.03.2019 न केवल धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद और अधिनियम की धारा 241-ए के संदर्भ में उचित संतुष्टि दर्ज करने के बाद, बल्कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) द्वारा विचार की गई अवधि के भीतर भी था।

उचित सूचना देना। [पैरा 22] [242-एफ-जी]

आयकर (सहायक) (1996) 222 आई. टी. आर. 140 गुजरात--संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2003) 260 आईटीआर 84

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

(1996) 222 आई. टी. आर. 140 गुजरात।

संदर्भित किया गया है

पै

रा 8

(1970) 2 एससीसी 233

पै

रा 16 (i)

संदर्भित किया गया है

[1974] 1 एससीआर 453

पै

रा 16 (ii)

संदर्भित किया गया है

(1984) 3 एस. सी. सी. 462

पै

रा 16 (ii)

संदर्भित किया गया है

[1996] 7 पूरक। एससीआर 152

पै

रा 16 (ii)

संदर्भित किया गया है

[2000] 2 पूरक। एससीआर 336

पै

रा 16 (iii)

संदर्भित किया गया है

(2017) 14 एस. सी. सी. 373

संदर्भित किया गया है

पै

रा 17

[1984] एससीआर 292

संदर्भित किया गया है

पैरा 17 वोडाफोन आदर्श। (EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2)

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2377

2020 से।

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 14.12.2018 निर्णय और आदेश से (ग) 2018 की सं. 2730।

जे. डी. मिस्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अनुराधा दत्त, सुश्री फेरेस्ते डी. सेठना, सचित जॉली, रोहित गर्ग, सिद्धार्थ जोशी, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन,

जोहेब हुसैन, सौरभ मिश्रा, पीयूष गोयल, विवेक गुरनानी और श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित। जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.2730 में उच्च न्यायालय 1 द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2018 से उत्पन्न होती है।

3. इस अपील को दायर करने वाले तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

ए] अपीलकर्ता-वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (पहले वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड या संक्षेप में वी. एम. एस. एल. के रूप में जाना जाता था) प्रदान करने में लगा हुआ है।

विभिन्न वृत्तों में दूरसंचार सेवाएँ।

क) 01.04.2011 पर लागू समामेलन द्वारा, चार समूह इकाइयाँः वोडाफोन सेल्युलर लिमिटेड, वोडाफोन डिजिलिंक लिमिटेड, वोडाफोन ईस्ट लिमिटेड और वोडाफोन साउथ लिमिटेड का वी. एम. एस. एल. में विलय हो गया।

ख) समामेलन की दूसरी योजना द्वारा, दो अन्य समूह इकाइयाँः वोडाफोन स्पेसटेल लिमिटेड और वोडाफोन वेस्ट लिमिटेड का विलय हुआ

वी. एम. एस. एल. डब्ल्यू. ई. एफ. 01.04.2012

ग) जबकि तत्काल मामले में कार्यवाही लंबित थी, वी. एम. एस. एल. और आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के बीच व्यवस्था 2 की योजना द्वारा-परिणामी कंपनी ने सभी अधिकार ग्रहण कर लिए।

समामेलन/हस्तांतरणकर्ता कंपनियों की देनदारियाँ।

इस मामले में अधिकांश तथ्यात्मक घटनाक्रम, जैसा कि आगे बताया गया है, व्यवस्था की उक्त योजना से पहले थे।

1 1 नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय 2 राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, मुंबई द्वारा पारित दिनांक 19.1.2018 के आदेश और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, अहमदाबाद द्वारा दिनांकित 11.1.2018 के आदेश द्वारा तैयार किया गया।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी] ए. वाई. 3 2014-15 के लिए, अपीलार्थी ने 30.09.2014 पर आयकर विवरणी (आई. टी. आर., संक्षेप में) दाखिल की और रुपये की वापसी का दावा किया। 1532.09 करोड़। उस पर

31.08.2015 , ए. वाई. 2014-15 के संबंध में अपीलार्थी को अधिनियम 4 की धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। 01.11.2015 पर, अपीलार्थी ने ए. वाई. 2015-16 के लिए आई. टी. आर. दाखिल किया और रुपये के रिफंड का दावा किया। 1355.51 करोड़। अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत विभाग द्वारा ए. वाई. 2015-16 के संबंध में 16.03.2016 पर एक नोटिस जारी किया गया था। अपीलार्थी द्वारा ए. वाई. 2014-15 के संबंध में 31.03.2016 पर एक संशोधित विवरणी दाखिल की गई थी। अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 92 सीसी के तहत सीबीडीटी5 के साथ एक उन्नत मूल्य निर्धारण समझौता किया। इसके बाद, ए. वाई. 2015-16 के लिए 25.11.2016 पर और संशोधित विवरणी दाखिल की गई और अधिनियम की धारा 92 सी. डी. के संदर्भ में एक संशोधित विवरणी अपीलार्थी द्वारा ए. वाई. 2014-15 के लिए 22.02.2017 पर दाखिल की गई।

अपीलार्थी को ए. वाई. 2016-17 के लिए 03.07.2017 पर जारी किया गया था। डी] ए. वाई. 2017-18 के लिए, अपीलार्थी द्वारा 25.11.2017 पर आई. टी. आर. दाखिल किया गया था जिसमें Rs.743 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया गया था।

ई] यह प्रस्तुत करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा दायर आईटीआर को संसाधित करने और अपीलार्थी को उचित धनवापसी जारी करने में उत्तरदाताओं की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता थी, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय में 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.2730 दायर की गई थी, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख राहत के लिए अनुरोध किया गया था।

" ए। मैंडमस का लेखन या मैंडमस की प्रकृति में लेखन, आदेश या निर्देश, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत कोई अन्य उपयुक्त लेखन, आदेश या निर्देश जो उत्तरदाताओं को ए. वाई. 2014-15 के लिए धनवापसी की प्रक्रिया और अनुदान देने का निर्देश देता है।

अधिनियम की धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ 2017-18 तक; "

एफ] 03.07.2018 पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जवाब में एक हलफनामा दायर किया जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया कि अपीलार्थी के आई. टी. आर. ने कई मुद्दे उठाए हैं।

3 मूल्यांकन वर्ष 4 आयकर अधिनियम, 1961 5 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ओडीएएफओएनई आईडीईएएलटी।

सर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]जी] उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 23.07.2018 पर प्रतिवादी संख्या 1 को एक पत्र जारी किया गया था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा

इसके अंतर्गत हैः

" जिन मूल्यांकन वर्षों के लिए धारा 143 (1) के तहत रिटर्न को संसाधित करने का अनुरोध किया गया है, वे पहले से ही ए. वाई. 2012-13, ए. वाई. 2013-14, ए. वाई. 2014-15, ए. वाई. 2015-16 और ए. वाई. 2016-17 के लिए जांच के दायरे में हैं। मैं आपका ध्यान आय की धारा 143 (1 डी) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

कर अधिनियमः

(आई. डी.) उप-धारा में कुछ भी निहित होने के बावजूद (1) , जहां उप-धारा के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है, वहां विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी।

(2)

मामला ए. वाई. 2017-18 के लिए अनिवार्य जांच के अधीन है और इसके अनुसार

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 241 एः

" 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, जहां धारा 143 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी भी राशि की वापसी निर्धारिती को देय हो जाती है और निर्धारण अधिकारी की राय है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस संबंध में धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है।

वापसी, कि धनवापसी के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वह दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए

लेखन और प्राचार्य की पूर्व स्वीकृति के साथ

आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, उस तारीख तक धनवापसी रोकते हैं जिस दिन मूल्यांकन किया जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1 डी) के तहत और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 241 ए के तहत, अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने धारा 143 (1) के तहत विवरणी का प्रसंस्करण। उपरोक्त निर्णय

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को संज्ञान में लेने के बाद लिया गया है। प्रत्यक्ष करों और ए. एन. आर. का केंद्रीय बोर्ड। दिनांकित

11.05.2016 निर्णय के पैरा 24 में कहा गया हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सवाल यह है कि क्या इस तरह की वापसी को संसाधित किया जाना चाहिए मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा अधिनियम की धारा 143 (आई. डी.) के संदर्भ में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए।

एच] इस बीच, ए. वाई. 2017-18 के लिए ओपेलेंट द्वारा एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया था जिसमें रुपये के रिफंड का दावा किया गया था। 744.94 करोड़। ए.ई अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत अपीलार्थी को जारी किया गया था

. 2018 AY 2017-18 के लिए।

I] 31.08.2018 पर, वी. एम. एस. एल. का आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के साथ विलय हो गया और

कंपनी का नाम वोडाफोन आइडिया लिमिटेड रखा गया था।

जे] अपने निर्णय और दिनांक 14.12.2018 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने

एस. एस. ई. डी. ने लिखित याचिका में कहा।

जे-1] अपीलार्थी के प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार दर्ज किए गए थेः

" 8. वोडाफोन टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड बनाम सीबीडीटी, 386 आईटीआर 30 और बॉम्बे में भी इस अदालत के फैसले पर भरोसा करती है।

उच्च न्यायालय ने समूह एम मीडिया इंडिया (पी) बनाम भारत संघ, 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 13624 में कहा कि विवरणी को एक वर्ष के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए और केवल जहां मूल्यांकन अधिकारी का विचार है कि धनवापसी जारी करना उन मांगों के संग्रह के लिए हानिकारक होगा जो उत्पन्न हो सकती हैं, वह प्रावधान का आह्वान कर सकता है।

अधिनियम की धारा 143 (1 डी)।

निर्धारण अधिकारी का विचार है कि धनवापसी जारी करना उन मांगों के संग्रह के लिए हानिकारक होगा जो उत्पन्न हो सकती हैं, वह अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के प्रावधान का आह्वान कर सकता है। अधिनियम की धारा 241 ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सभी कर विवरणियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित समय अवधि के भीतर संसाधित किया जाना है अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत। तत्काल मामले में, यह ध्यान देने योग्य है कि ओडीएएफओएनई आईडीएएलटी की धारा 143 (1) के तहत निर्धारित समय अवधि।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

अधिनियम की अवधि समाप्त हो गई है और राजस्व से कोई पत्राचार नहीं हुआ है कि धारा 143 (1 डी) के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया था।

.....

17. यह तर्क दिया गया कि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद,

धारा 143 (1) के दूसरे परंतुक के कारण, धनवापसी का दावा करने का अधिकार किसी भी निर्धारिती में निहित है। वकील ने तर्क दिया कि यह

जाँच सूचना जारी करने की राजस्व की शक्ति से स्वतंत्र धारा 143 (2) के तहत, जिसके लिए सीमा की अवधि अधिक है। तथापि, यदि निर्धारण अधिकारी कोई सूचना या सूचना जारी नहीं करता है, यदि निर्धारिती धनवापसी का दावा कर सकता है, तो वह अधिकार सांविधिक रूप से निहित है, यदि एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर, उक्त एक वर्ष के भीतर धारा 143 (1 डी) के तहत कोई तर्कपूर्ण आदेश नहीं दिया जाता है।

अवधि "।

जे-2] दूसरी ओर, राज्यपालों की ओर से प्रस्तुतियाँ थीं:

" 19. राजस्व जानबूझकर चूक के आरोपों से इनकार करता है

रुपये की कुल वापसी राशि। 4759.74 करोड़ साथ में

लागू ब्याज और यह बताता है कि आयकर रिटर्न को धारा 143 (1) के तहत संसाधित नहीं किया गया था। विचाराधीन मूल्यांकन वर्षों को धारा 143 (3) के तहत जांच के लिए उठाया गया था और प्रथम दृष्टया आयकर विभाग द्वारा पर्याप्त मांग उठाए जाने की संभावना है, जैसा कि पहले वोडाफोन के मामले में किया गया था। इसके अलावा, राजस्व ने प्रस्तुत किया कि वोडाफोन के अपने मामले में ए. वाई. 2011-12 के लिए जिसमें वापस किया गया नुकसान रु। 33,93,397 और बाद में, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आय Rs.546,64,25,250/- थी। 21. राजस्व के वकील ने तर्क दिया कि विचाराधीन प्रासंगिक अवधि के लिए, निर्धारण अधिकारी पहले ही जारी कर चुके हैं

धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत समय के भीतर नोटिस। के अनुसार

तत्कालीन प्रचलित प्रावधान के अनुसार, उसके बाद निर्धारण अधिकारी के लिए धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत आगे बढ़ना आवश्यक नहीं था। इसके अलावा, एल. डी. वकील ने यह समझाने के लिए अधिनियम की धारा 143 (1 डी) पर भरोसा किया कि धनवापसी की प्रक्रिया आज तक नहीं की गई है। एल. डी. वकील ने आग्रह किया कि धारा 143 की उप-धारा (1 डी) जो एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, बशर्ते कि [2020] 11 एस. सी. आर.

उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले विवरणी का प्रसंस्करण आवश्यक नहीं होगा, जहां धारा 143 (2) के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है। धारा 143 (1 डी) के प्रावधान में प्रावधान किया गया है कि इस तरह के विवरणी को उप-धारा (3) के तहत आदेश जारी करने से पहले संसाधित किया जाएगा। इसलिए, धारा 143 (1 डी) धारा 143 (1) को ओवरराइड करती है। इसलिए, वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के तहत, प्रसंस्करण

जहां अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, वहां वापसी की आवश्यकता नहीं होगी।

22. वकील ने अभिलेख पत्र F.No.ACIT/C-26 (2)/2018 पर रखा

19/216 दिनांकित 23.07.2018। यह कई के जवाब में है

तेजी से प्रसंस्करण के लिए निर्धारिती द्वारा संचार

विभिन्न ए. वाई. के लिए वापसी। आदेश में सूचित किया गया है कि मामले निम्नलिखित रूप से जांच के लिए लंबित हैं; ए. वाई. 2012-13 और 2013-14 के लिए, मूल्यांकन विशेष ऑडिट के तहत है और ए. वाई. 2014-15 के लिए, निर्धारिती ने ए. ए. आर. से संपर्क किया और अंत में, ए. वाई. एस. 2015 16 और 2016-17 के लिए रिटर्न जांच के दायरे में हैं। जिन मूल्यांकन वर्षों के लिए धारा 143 (1) के तहत विवरणी को संसाधित करने का अनुरोध किया गया है, वे पहले से ही विभिन्न ए. वाई. एस. के लिए जांच के दायरे में हैं। इसलिए,

धारा 143 (1 डी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, सहायक आयुक्त ने धारा के तहत विवरणी की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया

143 (1) . इसके अलावा, यह मामला ए. वाई. के लिए अनिवार्य जांच के अधीन है।

2017-2018 , शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 241 ए, सहायक

आयुक्त ने धारा के तहत विवरणी की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया

143 (1) ..... "

जे-3] प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, प्रासंगिक वैधानिक

राय और निर्णयों पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहाः

" 29. वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रचार किया गया मुद्दा अधिनियम की धारा 143 (1 डी) की व्याख्या पर है। सबसे पहले वैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करना और उसके बाद इस पर विचार करना आवश्यक है

रिफंड के लिए वोडाफोन के अनुरोध पर ऐसे प्रावधानों का प्रभाव

उक्त मूल्यांकन वर्ष। अधिनियम की धारा 143 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि जब धारा के तहत विवरणी दाखिल की जाती है

139 या धारा 142 (1), धारा 143 (1) के तहत एक नोटिस के अनुसार

आदेश देता है कि रिटर्न को इस तरीके से संसाधित किया जाएगा

खंड (क) से खंड (ङ) में विहित। इस प्रकार वापसी की प्रक्रिया में कुल आय या हानि, कर और ओडीएएफओएनई आईडीईएएलटीडी का निर्धारण शामिल है।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

ब्याज, यदि कोई हो तो, निर्धारिती द्वारा देय और देय राशि या धनवापसी की राशि। धारा 143 (1) (डी) में कहा गया है कि एक सूचना तैयार की जाएगी या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी जिसमें खंड (सी) के तहत निर्धारिती द्वारा देय देय राशि या धनवापसी की राशि निर्दिष्ट की जाएगी। धारा 143 (1) (ई) में प्रावधान है कि निर्धारण के अनुसरण में देय धनवापसी की राशि

खंड (ग) के तहत निर्धारिती को अनुदान दिया जाएगा। धारा 143 (1) के परंतुक को पढ़ने से पता चलता है कि यह अनिवार्य है कि धारा 143 (1) (डी) में दी गई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले जारी की जानी चाहिए जिसमें

वापसी की जाती है। धारा 143 (1 डी) पर आगे बढ़ने से पहले प्रासंगिक समय पर धारा 143 (2) और (3) का उल्लेख करना आवश्यक है। उप-धारा (2) उक्त प्रावधान द्वारा कवर की गई आकस्मिकता में एक नोटिस जारी करने पर विचार करती है। उप-धारा (3) में प्रावधान है कि एक बार ऐसी सूचना दिए जाने के बाद, प्रक्रिया का पालन करने के बाद

निर्धारित किए जाने पर, निर्धारण अधिकारी को कुल आय या हानि का आकलन करने और निर्धारित करने के लिए लिखित में एक आदेश पारित करना आवश्यक है।

निर्धारिती द्वारा देय राशि या निर्धारण के आधार पर उसे देय किसी भी राशि की वापसी। यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि चाहे वह धारा 143 (1) के तहत वापसी का प्रसंस्करण हो या धारा 143 (3) के तहत आदेश उसी समय सीमा, यानी धारा 153 (1) के अधीन है।

आयकर विवरणी की वास्तविकता को साबित करने के लिए साक्ष्य। वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा प्रस्तुत अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के तहत धारा 143 (1) (ए) के तहत विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, जहां अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है। इस प्रावधान को अब वित्त अधिनियम, 2016 (ए. वाई. 2017-18 से प्रभावी) द्वारा संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि यदि धारा 143 (2) के तहत जांच सूचना जारी की जाती है, तो उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है। 40. इन कार्यवाहियों में निर्धारिती का तर्क है कि एक बार धारा 143 (1) के प्रावधान में एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद, कर देयता [2020] 11 एस. सी. आर. के संबंध में विवरणी-और इसमें जो भी गणनाएं निहित हैं।

साथ ही परिणामी धनवापसी अंतिम हो जाती है, केवल एक घटना के अधीनः धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करना।

41. इस न्यायालय के लिए, यह प्रतीत होता है कि टाटा टेलीसर्विसेज (उपरोक्त) का शुद्ध प्रभाव यह है कि राजस्व निष्क्रिय नहीं हो सकता है, उन मामलों में जहां निर्धारिती धनवापसी का दावा करता है, और एक वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है (धारा 143 (1) के प्रावधान के तहत)। जब भी निर्धारिती धनवापसी के लिए दबाव डालता है, तो निर्धारण अधिकारी को इस बात पर विचार करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या मामले के तथ्य और परिस्थितियां, निर्धारिती की राशि के कुछ या सभी धनवापसी की गारंटी देती हैं, या यदि इन सभी को रोके रखने की आवश्यकता है। यह कवायद धारा 143 (1) के सामान्य प्रावधान के तहत समय सीमा को ध्यान में रखते हुए तुरंत की जानी चाहिए।

समाप्त हो जाता है। इस न्यायालय ने ग्रुप एम मीडिया इंडिया (पी) लिमिटेड के मामले में टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड (उपरोक्त) और बॉम्बे उच्च न्यायालय में निर्णय दिया। (ऊपर दिया गया है) कि धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन तैयार करने की अंतिम तिथि तक समय की उपलब्धता का हवाला देते हुए धनवापसी के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर केवल बैठना निर्धारण अधिकारी के लिए पूरी तरह से असमान होगा। कानून की उचित व्याख्या और ऐसे मामले में स्थिति यह होगी कि निर्धारिती द्वारा धनवापसी जारी करने का अनुरोध करने के बाद निर्धारण अधिकारी को प्रश्न का शीघ्र निपटान करना चाहिए।

... .

44. अब इस मामले में, मूल्यांकन अधिकारी द्वारा स्वीकृति या सूचना नहीं भेजी गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 143 के दूसरे परंतुक में इंगित एक वर्ष की अवधि

(1) . हालांकि, धारा 143 (1 डी) एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होती है जो उस प्रावधान पर हावी है। टाटा टेलीसर्विसेज (ऊपर) और

ग्रुप एम मीडिया इंडिया (उपरोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है कि एक नियमित मूल्यांकन का सहारा लेने का वास्तविक अर्थ यह नहीं है कि हर मामले में, मूल्यांकन अधिकारी को धनवापसी से इनकार करना पड़ता है या धनवापसी के लिए एक स्वचालित प्रतिबंध होता है। द. निर्धारण अधिकारी को अपने दिमाग को लागू करना होगा और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आदेश देना होगा।

45. इस मामले में, राजस्व ने आई. डी. 1 दिनांकित एक आदेश पर भरोसा किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया है कि "लंबित विशेष लेखा परीक्षा, लंबित जांच, 4500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की प्रारंभिक मांगों पर विचार करते हुए, लंबित जांच मामलों को पूरा किए बिना रिटर्न को संसाधित करना राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल होगा। इसलिए, धारा 143 (1) और ODAFone IDEALTD के तहत शक्तियों का प्रयोग करना।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

49. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि एक वर्ष की अवधि की समाप्ति, धारा 143 (1) के दूसरे परन्तुक के अनुसार जिसके परिणामस्वरूप स्वीकृति की सूचना की अंतिमता होती है, इस न्यायालय की राय है कि विचाराधीन उपबंध, अर्थात धारा 143 (1) (डी) केवल दो संभाव्यताओं की बात करता हैः " ऐसे मामले में सूचना मानी जाएगी जहां खंड (सी) के तहत निर्धारिती द्वारा कोई राशि देय या वापसी योग्य नहीं है और जहां खंड (ए) के तहत कोई समायोजन नहीं किया गया है। दूसरा, यह सूचना या स्वीकृति किसी को भी प्रदान नहीं कर सकती है। निर्धारिती के लिए यह अधिक अधिकार है कि वह निर्धारण अधिकारी से धनवापसी की प्रक्रिया करने और धन जुटाने के लिए कहे; यह निर्धारण अधिकारी पर निर्भर करता है-जहां कहीं भी नोटिस जारी करने की संभावना हो।

धारा 143 (2) के तहत मौजूद है, या जहां ऐसा नोटिस जारी किया गया है, अपने दिमाग को लागू करने के लिए, और यह तय करने के लिए कि क्या इसकी प्रकृति को देखते हुए

वापसी और संभावित या संभावित देयता, धनवापसी दी जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब धारा 143 (2) के तहत नोटिस के अनुसार कोई मूल्यांकन लंबित है, तो धनवापसी का दावा करने का ऐसा अधिकार प्राप्त हो सकता है। यह न्यायालय आयकर उपायुक्त बनाम जुआरी एस्टेट मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को भी याद करता है।

डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड 2015 (15) एस. सी. सी. 248 जिसमें कहा गया था कि धारा 143 (1) के तहत एक सूचना पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

एक मूल्यांकन के रूप में "।

के] 27.12.2018 और 31.12.2018 पर, एवाई 2014-15 और एवाई के लिए अधिनियम की धारा 144 सी के मसौदा मूल्यांकन आदेश पारित किए गए थे।

-16 क्रमशः।

एल] उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को स्वीकार करते हुए विशेष अनुमति याचिका (जिससे यह अपील उत्पन्न होती है) में, 18.01.2019 पर अदालत को नोटिस जारी किया गया था। जवाब में हलफनामे में, उत्तरदाताओं ने

टेडः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 7. प्रासंगिक प्रावधानों को निकालने के बाद, यह बताना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं उच्च न्यायालय के समक्ष कई दावे किए हैं जो 5,557 करोड़ रुपये के संचित नुकसान और Rs.53,000 करोड़ की राशि के ऋण के साथ "अनिश्चित वित्तीय स्थितियों" का सामना कर रहे हैं। यह कहना भी उतना ही उचित है कि प्रत्यर्थी-राजस्व ने 3 जुलाई, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका के खिलाफ एक जवाबी हलफनामा दायर किया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ यहां Rs.5000 करोड़ से अधिक की भारी मांगें लंबित हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे की सामग्री को वर्तमान हलफनामे के एक भाग के रूप में माना जा सकता है। यह कहा गया है कि कई मुद्दे जिन पर मांग देनदारियों को जन्म देते हुए जोड़ा गया है, और ऐसे कई मुद्दे भी प्रकृति में बार-बार हो रहे हैं।

10. कि यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 23 जुलाई, 2018 का आदेश

निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश धारा के तहत एक आदेश है

143 (1) ((घ) मूल्यांकन वर्षों 2012-13 से 2016-17 के लिए, जैसा कि उक्त आदेश के नंगे पढ़ने से स्पष्ट होता है, जिसमें इनकार करने के कारण बताए गए हैं -

वोडाफोन मोबाइल सर्विस लिमिटेड द्वारा दावा किया गया धनवापसी। जहाँ तक ए. वाई. 2017-18 के लिए दावा किए गए धनवापसी से इनकार का संबंध है, उक्त आदेश अधिनियम की धारा 241 ए के तहत अपनी शक्ति प्राप्त करता है जैसा कि 23 जुलाई, 2018 के आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

विभिन्न लंबित कार्यवाहियों का संदर्भ दिया गया जहां पहले के मूल्यांकन वर्षों के लिए उठाए गए ऋण पर रोक लगा दी गई थी और यह था 1 :

" 24. यह कहना गलत है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1 डी) और 241 ए के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया गया पत्र/आदेश सीमा से परे है, किसी भी ठोस तर्क से रहित है और अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि पत्र/आदेश राजस्व के हित की रक्षा के लिए अच्छे कारणों से जारी किया गया था जो परिलक्षित होता है। विवादित फैसले के पैरा 45 के माध्यम से। यह तर्क लंबित विशेष लेखा परीक्षा, लंबित जांच और Rs.5000 करोड़ से अधिक की लंबित मांगों पर आधारित था। इसके अलावा, पत्र/आदेश सीमा से परे नहीं था क्योंकि धारा 143 (1 डी) एक गैर-बाधा खंड के साथ शुरू होती है, जो धारा 143 (1) के प्रावधानों के ऊपर और ऊपर है, जिस पर आक्षेप के पैरा 44 में चर्चा की गई है।

फैसला "। वोडाफोन आइडियल. (EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

एम] 14.03.2019 पर अपीलार्थी को एक सूचना भेजी गई थी

ए. वाई. 2017-18 के लिए धनवापसी रोकने के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1। इसने पिछले मूल्यांकन वर्षों के लिए मांग की स्थिति के बारे में निम्नानुसार बताया:

ए. वाई.

की प्रकृति

की राशि

राशि

संतुलन

मांगें

पहले से ही भुगतान /

उत्कृष्टता

बढ़ी मांग

समायोजित किया।

यू/एस 143 (3)/154

निगमित

74,91

,27,579 /

2008-09

10,00,00,000 /

84,91,27,579 /

कर

मूल्यांकन

यू/एस 143 (3)

निगमित

2,42,86,76,260 /

2009-10

97,36,82,990 /

1,45,49,93,270 /

मूल्यांकनकर्ता

तु/एस 143 (3)

3,36,22,76,980 /

निगमित

60,00,00,000 /

2,76,22,76,980 /

2010-11

कर

मूल्यांकनकर्ता

टी यू/एस 143 (3)

2010-11

1,65,14,76,430 /

निगमित

1,65,

14,76,430 /

मूल्यांकनकर्ता

तु/एस 143 (3)

निगमित

2,11,6

1,29,411 /

2011-12

2,11,61,29,711 /

कर

मूल्यांकनकर्ता

तु/एस 143 (3)

इसके बाद उसने आगे कहाः

" यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले धनवापसी को रोक दिया गया था।

गैर के कारण उचित अनुमोदन के बाद दिनांकित नोटशीट 23.07.2018

ए. वाई. के लिए आई. टी. बी. ए. में वापसी सुविधा की कार्यवाही की उपलब्धता

23.07.2018 . उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है यह मानने का कारण कि धनवापसी का मुद्दा नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा

राजस्व का ब्याज। इसलिए, रोक लगाने का प्रस्ताव

AY.2017-18 के लिए धनवापसी फिर से पीआर को भेज दी गई थी।

आयकर आयुक्त-09, दिल्ली और वही मंजूरी दे दी गई। नोट शीट पर स्वीकृति ली गई थी और साथ ही

आई. टी. बी. ए. के माध्यम से अनुमोदन की प्रक्रिया का भी पालन किया गया।

09. धारा 241 के तहत धनवापसी रोकने की मंजूरी ली गई थी पी. सी. आई. टी.-9 से जिसे उचित माध्यम से भेजा गया था।

एडल्ट। सीआईटी रेंज 26.

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको सूचित किया जाता है कि

मेसर्स वोडाफोन मोबाइल के मामले में A.Y.2017-18 का रिफंड

सर्विस लिमिटेड आय [2020] 11 एस. सी. आर. की धारा 241 ए के तहत रोक रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कर अधिनियम, 1961 यू/एस के तहत जांच कार्यवाही के पूरा होने तक

143 (3) या 144 सी आर. डब्ल्यू. एस. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3)।

एन] मसौदा मूल्यांकन के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ

27.12.2018 और 31.12.2018 पर जारी किए गए आदेशों का निपटारा किया गया।

20.09.2019 . इसके बाद, अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत अंतिम मूल्यांकन आदेश ए. वाई. 2014-15 और 2015-2016 के लिए 31.10.2019 पर पारित किए गए, जिसके तहत अपीलार्थी को ए. वाई. 2014-15 के संबंध में Rs.733 करोड़ (लगभग) की वापसी का हकदार ठहराया गया, जबकि ए. वाई. 2015-2016 के लिए धनवापसी के दावे को खारिज कर दिया गया और लगभग 1 करोड़ रुपये की मांग की गई। द्वारा पसंद की गई अपील में

अपीलार्थी ने कहा कि ए. वाई. 2015-16 की मांग पर तब से आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा रोक लगा दी गई है।

4. प्रासंगिक तिथियाँ और तथ्यात्मक घटनाक्रम जैसा कि कहा गया है

ऊपर, एक सारणीबद्ध रूप में संक्षेपित किया जा सकता हैः

अंतिम आदेश वर्ष द्वारा संशोधित मसौदा आदेश की सूचना दाखिल करने की मूल्यांकन तिथि डी. आर. पी. के निर्धारण में संशोधित विवरणी दाखिल करने की अंतिम आदेश वर्ष s.143 143 (2) रिटर्न टर्म्स ऑफ-मेंट पोजिंग ऑफ-मेंट (ID)

आईटीआर

S.92CD आदेश आपत्तियाँ आदेश

में से

यू/एस।

यू/ए

स।

144 सी.

आदेश दें

यू/सेक।

144 सी.

23.7.2017

2014-15 309.2014

31.8.2015 31.3.2016

22.2.2017 27.12.2018

20.9.2019

31.

10.2019

(रिफंडः

(रि

फंडः

Rs.1532 करोड़

Rs.

733 करोड़।

लगभग)।

लगभ

ग)।

31.12.2018 20.9.2019

31.10.2019 23.7.2018

2015-16 1.11.2015 16.3.2016 25.11.2016

(मां

गः

(रिफंडः

Rs.135

रु.

582 क्र.

5 क्र.

लगभ

ग)।

लगभग)।

2016-17 30.11.2016 3.7.2017

23.7.2018

(रिफंडः

Rs.1128 करोड़।

लगभग)।

2017-18 25.11.2017 10.8.2018 13.7.2018

14.3.2019

(रिफंडः

Rs.745 करोड़

लगभग)।

5. इस अपील में हमने श्री जे. डी. मिस्त्री, विद्वान वरिष्ठ को सुना।

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री जोहेब हुसैन। दलीलों के दौरान, उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया कि जहां तक ए. वाई. 2017-18 का संबंध है, अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के तहत पारित दिनांकित 23.07.2018 अधिकार क्षेत्र के बिना था, क्योंकि उस समय तक संबंधित मूल्यांकन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि परिस्थितियों में, देय ODAFone IDEALTD के बाद 14.03.2019 पर एक नया आदेश पारित किया गया था।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन। इसे सत्यापित करने के लिए

दिनांकित 14.03.2019 आदेश के पारित होने की ओर ले जाने वाले प्रस्ताव,

एर्नड रिकॉर्ड को बुलाया गया और उसका अध्ययन किया गया। न्यायालय संतुष्ट था कि उक्त आदेश के लिए सभी पूर्ववर्ती कदम उठाए गए थे।

-कानून और व्यवस्थित अभ्यास के साथ नृत्य करें।

उत्तरदाताओं की ओर से एक हलफनामा भी दायर किया गया था जिसमें समझाया गया था

14.03.2019 दिनांकित सूचना जारी करने के आदेश के पारित होने की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम। यह कहा गया थाः

" कि सी. पी. सी. के अनुसार रिटर्न का लेखा 9 तारीख को पूरा किया गया था। अप्रैल, 2019 और सूचना यू/एस 143 (1) 9 अप्रैल, 2019 को उत्पन्न की गई थी। यह सूचना के पृष्ठ 1 से भी स्पष्ट है।

यह कि धारा 143 (1) के तहत उन्हें कभी भी सूचित नहीं किया गया था, यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 143 (1) के तहत सूचना निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पते पर भेजी गई थी, अर्थात, अतुल। goel@vodafoneidea। कॉम.

यह इस पृष्ठभूमि में था कि सुनवाई के दौरान निर्धारिती द्वारा स्क्रीन शॉट पर भरोसा किया गया था, यह दर्शाता है कि आईटीआर

09.04.2019 पर संसाधित किया गया था।

धारा 143 (1) के तहत सूचना 09.04.2019 पर दी गई थी और उक्त सूचना में कहा गया था कि उक्त सूचना में धारा 143 (1) के तहत निर्धारित धनवापसी को धारा 241 ए के प्रावधान के अनुसार रोक दिया गया है और यदि कोई धनवापसी है तो उसे जारी कर दिया जाएगा।

धारा 143 (3)/144 (4) के तहत मूल्यांकन का पूरा होना, जैसा भी मामला हो, धारा 244 ए के तहत ब्याज के साथ और विषय

धारा 245 के तहत बकाया मांग, यदि कोई हो, के समायोजन के लिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. सी. ने आई. टी. बी. ए.-आई. टी. आर. प्रसंस्करण निर्देश संख्या 5 दिनांक 14.12.2018 द्वारा निर्धारित उचित प्रक्रिया को अपनाया है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार धनवापसी

कुल आयकर की सिफारिश और कर क्रेडिट का मिलान पूरा होने के तुरंत बाद निर्धारण पूरा हो जाता है।

सी. पी. सी प्रणाली। इस स्तर पर धनवापसी का निर्धारण है

सी. पी. सी., बैंगलोर द्वारा आई. टी. बी. ए. मॉड्यूल के माध्यम से ए. ओ. को संप्रेषित किया गया। एक बार ए. ओ. द्वारा धनवापसी स्वीकृत/रोके जाने/अवरुद्ध किए जाने के बाद, सी. पी. सी. अभिलेख का लेखा पूरा करेगा और आई. टी. अधिनियम की धारा 245 जैसे अन्य प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेगा, अर्थात देय कर बकाया के खिलाफ निर्धारित धनवापसी का समायोजन।

5.1 एक और विकास को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सुनवाई में। 08.01.2020 , मेसर्स आइडिया सेल्युलर लिमिटेड के संबंध में 28.12.2019 एड दिनांकित आदेश पर निर्भरता रखी गई थी। इसलिए यह

इस न्यायालय द्वारा वीडः

" सुनवाई के दौरान, श्री जोहेब हुसैन, विद्वान वकील

राजस्व की ओर से उपस्थित होकर दिनांकित आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई

28.12.2019 आइडिया सेल्युलर लिमिटेड (जिसके साथ अपीलार्थी का अब विलय हो गया है) के संबंध में पारित किया गया।

श्री हुसैन ने प्रस्तुत किया कि 28.12.2019 दिनांकित आदेश होगा

हम विभाग को आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हैं ऐसी प्रस्तुति के साथ जिसे विभाग अभिलेख में रखना चाहता है। शपथ-पत्र के माध्यम से प्रस्तुतियों को इसके भीतर दाखिल किया जाए।

आज से सात दिन बाद। अपीलार्थी को उन प्रस्तुतियों का जवाब देने की स्वतंत्रता होगी।

अगले सात दिनों के भीतर।

प्रतिलिपि

अभिलेख पर रखे गए दिनांकित 28.12.2019 आदेश का संकेत है

आकलन वर्ष 2016-17 के लिए रु. 2824.99 अपीलार्थी के खिलाफ एस उठाया गया है।

मौखिक सुनवाई के समापन के बाद, पक्षों ने भी अपनी लिखित याचिका दायर की

मुद्दे।

6. यह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया थाः

" वर्तमान मामले के तथ्यों में, स्वीकार्य रूप से, ए. वाई. 2014-15 से 2016-17 (जिसके लिए अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के प्रावधान हैंः

प्रासंगिक), प्रत्यर्थी ने न तो वापसी को संसाधित किया है

अंतिम तिथि तक उक्त वर्षों की आय, अर्थात। 31.03.2018 न ही किया।

प्रतिवादी धारा के तहत दिए गए विवेकाधिकार का प्रयोग करता है

143 (1(घ) उसके द्वारा अधिनियम। उत्तरदाताओं के अनुसार

प्रस्तुत करते हुए, अधिनियम की धारा 143 (1 डी) के तहत इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग केवल 23.07.2018 दिनांकित पत्र/आदेश के माध्यम से किया गया था, जो स्वीकार्य रूप से

यह सीमा अवधि से परे है।

इसलिए, इस तरह के विवेक का प्रयोग किया गया है सीमा से परे कानून की नजर में एक शून्य है और इसलिए, इस तरह के पत्र/आदेश का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

ODAFone IDEALTD। (पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

जहां तक निर्धारण वर्ष 2017-18 का संबंध है, इस माननीय के समक्ष बहस के दौरान उत्तरदाता

अदालत ने स्वीकार किया है कि 23.07.2018 दिनांकित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि उस तारीख को न तो आय की वापसी की प्रक्रिया की गई थी, न ही धारा 143 (2) के तहत कोई नोटिस जारी किया गया था, जो अधिनियम की धारा 241 ए के तहत शक्तियों के प्रयोग की गारंटी देता है। केवल इसी आधार पर, जहां तक निर्धारण वर्ष 2017-18 का संबंध है, आक्षेपित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए और उस वर्ष के लिए दावा किया गया धनवापसी ब्याज के साथ दी जानी चाहिए। यह स्वीकार करने के बाद कि 23.07.2018 दिनांकित आदेश अधिकार क्षेत्र के बिना था, प्रत्यर्थी ने एक वैकल्पिक मामला स्थापित किया कि समय

आय की वापसी को संसाधित करने की सीमा 31.03.2020 पर समाप्त हो जाती है और इसलिए, AY 2017-18 के लिए कार्यवाही अपरिवर्तनीय है और उस वर्ष के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। जब यह बताया गया कि प्रक्रिया पहले ही दिनांक 09.04.2019 की सूचना के माध्यम से पूरी हो चुकी है, तो प्रतिवादी ने अपना रुख बदल दिया और तर्क दिया कि 06.03.2019 पर इस माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद 14.03.2019 दिनांकित एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 241A के तहत फिर से शक्तियों का प्रयोग करने की मांग की गई थी। मान लीजिए, आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार, और प्रतिवादी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष 08.01.2020 पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार, ए. वाई. 2017-18 के लिए वापसी की प्रक्रिया केवल 09.04.2019 पर पूरी की गई थी और इसलिए, 14.03.2019 पर धारा 241 ए के तहत शक्ति का कथित प्रयोग अधिकार क्षेत्र के बिना है क्योंकि यह उसी बुराई से ग्रस्त है जो दिनांकित 23.07.2018 के आदेश से हुआ था, यानी धारा 241 ए के तहत धनवापसी को रोका नहीं जा सकता था।

आय की वापसी की प्रक्रिया से पहले।

इस निवेदन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि ए. वाई. एस. 2014-15 से 2016-17 के लिए जारी किया गया 23.07.2018 दिनांकित आदेश अधिकारिता के बिना था, जिसे सीमा से परे जारी किया गया था और ए. वाई. 2017-18 के लिए अधिनियम की धारा 241 ए के तहत अधिकारिता का आह्वान करने वाले 23.07.2018 और 14.03.2019 दिनांकित आदेशों को कानून की कोई पवित्रता नहीं है क्योंकि उस धारा को लागू करने के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी रिटर्न का प्रसंस्करण 09.04.2019 पर पूरा किया गया था, यहां तक कि गुण-दोष पर भी, न तो 23.07.2018 दिनांकित आदेश और न ही 14.03.2019 दिनांकित आदेश किसी भी आधार का खुलासा करता है जिस पर अधिनियम की धारा 143 (1 डी) या धारा 241 ए के तहत शक्तियों को लागू किया जा सकता था।

7. उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत कियाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" गुण-दोष पर, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ए. ओ. ने समय सीमा के भीतर धारा 143 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया है, यानी उस वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने जिसमें विवरणी दाखिल की गई थी, तो अब कोई सूचना नहीं है।

जाँच सूचना जारी किए जाने के बाद विवरणी को संसाधित नहीं करने का पूरा उद्देश्य यह है कि ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त माँगों की संभावना है, राजस्व पर धनवापसी जारी करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त विधायी योजना में कोई विसंगति नहीं है जो गैर-अवरोधक खंड को कमजोर करने और धारा 143 (1 डी) में पढ़ने की अनुमति देती है। विधायिका ने निर्धारित नहीं किया है।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक गैर-अवरोधक खंड एक विधायी उपकरण है जिसका उपयोग कुछ या सभी विपरीत प्रावधानों को प्रबल प्रभाव देने के लिए किया जाता है और इस तरह, एक गैर-अवरोधक खंड का संचालन।

इसे किसी भी तरह से सीमित नहीं किया जा सकता है और इसका पूरा लाभ दिया जाना चाहिए।

प्रभाव पड़ता है।

उच्च न्यायालय ने पैरा 44 में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि धारा 143 (1 डी) एक गैर-बाध्यकारी खंड के साथ शुरू होती है, इसलिए यह अधिक सहन करेगी।

धारा 143 (1) के दूसरे परंतुक को ओवरराइड करें जिसमें एक

वापसी के पूर्वगमन के लिए एक वर्ष की सीमा अवधि।

इस कथन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि दिनांकित 23.07.2018 आदेश के गुण-दोष के साथ-साथ दिनांकित 14.03.2019 आदेश ने कभी भी ऐसा नहीं किया है।

याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी मंच के समक्ष हमला किया गया, न ही कोई

उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान तर्क आगे बढ़ते हैं और

कि एस. एल. पी. में इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहली बार यह नहीं उठाया जा सकता है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि ए. ओ. ने इन सभी वर्षों में ठोस और वैध कारणों से धनवापसी को रोक दिया था।

राजस्व, अंतिम जांच मूल्यांकन कार्यवाही के अधीन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे आदेश के खिलाफ न्यायिक समीक्षा का दायरा जहां एओ ने अपने विवेक का प्रयोग किया है, सीमित होगा और कोई भी हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाए

या तो पूरी तरह से मनमौजी या बिना किसी वैध कारण के।

8. धारा 143 की उप-धाराओं के बीच अंतर-संबंध, जैसा कि उस समय धारा थी, इस ओडीएएफओएनई आईडीईएएलटी द्वारा चर्चा का विषय था।

सी. आई. टी. वी. में टी. गुजरात विद्युत बोर्ड 'जिसने बदले में गुजरात पॉली ए. वी. एक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया1. डी. आयकर आयुक्त (सहायक)। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 5. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने इंगित किया है

यह कि कई उच्च न्यायालयों ने कई निर्णयों में

लगातार यह विचार रखा कि एक बार नियमित मूल्यांकन

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (2) के तहत कार्यवाही शुरू हो गई है, यह निर्धारण अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में धारा 143 (1) (ए) के तहत कार्यवाही शुरू करने की सीमा है। एक्ट करें।

6. अन्यथा भी, गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

सिद्धांत रूप में सही प्रतीत होता है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 143 (1) (ए) कर के त्वरित संग्रह और त्वरित धनवापसी के लिए एक संक्षिप्त प्रक्रिया लागू करती है। योजना के तहत यदि

निर्धारण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश पर गंभीर आपत्ति आय निर्धारित करने वाला अधिकारी, यह निर्धारिती के लिए पूछने के लिए खुला है

धारा 154 के तहत सुधार के लिए। 7. इसके अलावा, धारा 143 (1) (ए) (आई) के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि धारा 143 (1) (ए) के तहत भेजी गई सूचना उप-धारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी। इसलिए, विधायिका का इरादा था कि जहां उप-धारा (1) के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाया गया है, वहां राजस्व के लिए स्वतः या निर्धारिती के कहने पर धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नियमित मूल्यांकन करने की गुंजाइश उपलब्ध होनी चाहिए।

इसके विपरीत उपलब्ध नहीं है; एक नियमित मूल्यांकन कार्यवाही

धारा 143 (2) के तहत शुरू किए जाने के बाद, धारा 143 (1) (ए) के तहत संक्षिप्त कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है।

8.1 गुजरात पॉली ए. वी. एक्स. में तथ्य और प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ

रोनिक्स Ltd.² को गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में दर्ज किया गया था। टी निम्नानुसार हैः

" 2. 12 सितंबर, 1994 को निर्धारिती ने आय की गणना और मूल्यह्रास चार्ट के अनुसार निर्धारण वर्ष के लिए 530 करोड़ रुपये के नुकसान का विवरण प्रस्तुत किया। अनुलग्नक ए में याचिका. निर्धारिती ने रुपये के मूल्यह्रास का दावा किया। 1,74,78,526 . विनिर्माण गतिविधियाँ 24 मार्च, 1993 को शुरू हुईं।

बी) 260 आईटीआर 84 6) 222 आई. टी. आर. 140 गुजरात।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अर्थात 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान (निर्धारण वर्ष 1993-94)। यह विशेष रूप से इंगित किया गया था कि "के सार्वजनिक निर्गम के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि

रु. 1,07,85,590 इसे आय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और शीर्ष न्यायालय सहित कई निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पूर्व परिचालन व्यय के तहत शामिल ब्याज व्यय के खिलाफ सेट ऑफ दिया गया है। 3. जैसा कि विद्वान वकील ने कहा, विवरणी दाखिल करने पर, अधिनियम की धारा 143 के तहत मूल्यांकन के लिए नई योजना के तहत मूल्यांकन अधिकारी (एओ) के पास दो विकल्प थे; अर्थात, (i) या तो

एस के तहत वापसी स्वीकार करें। 143 (1) आवश्यक समायोजन के साथ, यदि कोई हो, या (ii) धारा 143 (3) के तहत या अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करके धारा 144 के तहत मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ना। तत्काल मामले में, वापसी स्वीकार करने के बजाय

अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत, निर्विवाद रूप से, निर्धारण अधिकारी ने 1 दिसंबर, 1994 को अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत अनुलग्नक सी के माध्यम से नोटिस जारी किया। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि नोटिस को जारी रखते हुए निर्धारण अधिकारी ने 15 नवंबर, 1995 को एक पत्र संबोधित किया जिसमें निर्धारिती को 27 नवंबर, 1995 को पत्र अनुलग्नक सी-1 के माध्यम से उपस्थित होने के लिए कहा गया था। निर्धारिती का प्रतिनिधि 27 तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश हुआ।

नवंबर, 1995 लेकिन मूल्यांकन अधिकारी ने मामले को 1 दिसंबर, 1995 तक के लिए स्थगित कर दिया। 1 दिसंबर, 1995 को निर्धारिती के प्रतिनिधि और निर्धारण अधिकारी के बीच चर्चा हुई। निर्धारिती को ऐसा करने के लिए कहा गया था विभिन्न बिंदुओं के बारे में स्पष्टीकरण और यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि कैसे दावा किए गए मूल्यह्रास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और राजस्व खाते में रसीद के रूप में ब्याज पर कर क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। निर्धारिती द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत कार्यवाही के बीच में था। हालांकि, निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 143 (1) (ए) के तहत अनुलग्नक डी के माध्यम से सूचना/आदेश जारी किया, जिसमें निर्धारिती द्वारा गणना की गई आय की वापसी को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुमति नहीं दी गई।

दावा किए गए मूल्यह्रास और ब्याज आय पर कर लगाकर

अन्य स्रोतों से आय के रूप में रु. 1,07,85,590 और इस प्रकार रु. 1,30,83,741 विभिन्न शीर्षों और करों की धाराओं के तहत, धारा 143 (1 ए), 234 ए के तहत अधिभार और अतिरिक्त कर

और 234 बी।

ODAFone IDEALTD। (पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

4. निर्धारिती की ओर से पेश विद्वान वकील श्री शाह ने कहा है कि

तर्क दिया कि एक बार निर्धारण अधिकारी ने विकल्प का प्रयोग किया है

अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करके अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत आगे बढ़ना, भले ही समायोजन किए जा सकें।

द्वारा निर्धारण अधिकारी क्रम में हैं, निर्धारण अधिकारी है धारा 143 (1) के तहत कार्य करने के अधिकार को अपने विकल्प के आधार पर जब्त कर लिया, जिसने धारा के तहत मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया था।

143 (3) एस के तहत एक नोटिस जारी करके अधिनियम। 143 (2) अधिनियम से।

5. इसके विपरीत, श्री शेलट, विद्वान वकील (राजस्व के लिए) ने तर्क दिया है कि एओ के लिए एस के तहत प्रक्रिया का पालन करने के लिए खुला है। 143 (1) और 143 (2) एक साथ। उनका तर्क है कि यह समानांतर कार्यवाही के लिए खुला है और इसके लिए अनिवार्य नहीं है

एस के अनुसार मूल्यांकन करें। 143 (3) यद्यपि अधिनियम की एस के अधीन सूचना। 143 (2) अधिनियम की धारा जारी की जाती है और एस के तहत मूल्यांकन करने से पहले। 143 (3) अधिनियम के तहत वह एस के तहत आगे बढ़ सकता है। 143 (1) अधिनियम से। कोई और नहीं।

विवाद उठाया जाता है "।

8.1. 1 प्रासंगिक प्रावधान, अर्थात् धारा 143 जैसा कि तब पैराग्राफ 6 में उद्धृत किया गया था, निम्नानुसार हैः

" 6. बेहतर होगा कि संबंधित खंड पर एक नज़र डालें जो

इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

“ 143 (1) (क) जहां धारा 139 के तहत या उप-धाराओं के तहत किसी नोटिस के जवाब में विवरणी दी गई है। (1) धारा 143,

((i) यदि इस आधार पर कोई कर या ब्याज देय पाया जाता है।

स्रोत पर काटे गए किसी भी कर के समायोजन के बाद, कोई भी वापसी

अग्रिम कर का भुगतान और इसके माध्यम से अन्यथा भुगतान की गई कोई भी राशि

कर या ब्याज, तब, के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना

उप-एस। (2) , निर्धारिती को निर्दिष्ट करते हुए एक सूचना भेजी जाएगी

इस प्रकार देय राशि, और ऐसी सूचना निम्नलिखित मानी जाएगी -

धारा 156 के तहत जारी की गई मांग की सूचना और सभी

इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे;

((ii) यदि ऐसी वापसी के आधार पर कोई धनवापसी देय है, तो वह होगी -

निर्धारिती को दिया गयाः

बशर्ते कि द्वारा देय कर या ब्याज की गणना करने में, या

निर्धारिती को वापसी योग्य, निम्नलिखित समायोजन होंगेः

वापसी में घोषित आय या हानि, अर्थात्-[2020] 11 एस. सी. आर.

(i) विवरणी, खातों या उसके साथ आने वाले दस्तावेजों में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। ((ii) कोई भी नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत, जो इस तरह के विवरणी, खातों या दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है, लेकिन जिसका विवरणी में दावा नहीं किया गया है, की अनुमति दी जाएगीः

((iii) आगे बढ़ाया गया कोई नुकसान, कटौती, भत्ता या राहत।

वापसी में दावा किया गया, जो ऐसी वापसी, खातों या दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि जहां पहले परंतुक के तहत समायोजन किए जाते हैं, वहां निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी, इसके बावजूद कि उक्त समायोजन करने के बाद उससे कोई कर या ब्याज देय नहीं पाया जाता हैः

बशर्ते कि इस खंड के तहत देय किसी भी कर या ब्याज के लिए सूचना उस निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी जिसमें आय पहले आकलन योग्य थी।

XXX XXX

XXX XXX

(1ए) (ए) जहां उप-धारा (1) के खंड (ए) के पहले परंतुक के तहत किए गए समायोजन के परिणामस्वरूप -

((ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरणी में घोषित हानि को कम कर दिया जाता है या आय में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी - (क) ऐसे मामले में जहां इस खंड के उपखंड (i) के तहत आय में वृद्धि ने ऐसे व्यक्ति की कुल आय में वृद्धि की है,

कुल आय पर कर के बीच के अंतर पर बीस प्रतिशत की दर से गणना किए गए अतिरिक्त आय-कर द्वारा उप-धारा (1) के तहत देय कर की राशि को और बढ़ाएं।

इस प्रकार बढ़ाया गया और कर जो प्रभार्य होता यदि ऐसी कुल आय की राशि में कमी की गई होती

समायोजन और अतिरिक्त आय-कर को ओडीएएफओएनई आईडीएएलटीडी में निर्दिष्ट करें।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

उप-धारा (1) के खंड (ए) के उप-खंड (आई) के तहत भेजी जाने वाली सूचनाः

(ख) ऐसे मामले में जहां इस प्रकार घोषित हानि को इस खंड के उपखंड (i) के तहत कम किया जाता है या उपरोक्त समायोजन का उस हानि को आय में परिवर्तित करने का प्रभाव पड़ता है, कर के बीस प्रतिशत के बराबर राशि (जिसे इसके बाद अतिरिक्त आय-कर के रूप में संदर्भित किया जाता है) की गणना करें जो समायोजन की राशि पर इस तरह प्रभार्य होती जैसे कि वह ऐसे व्यक्ति की कुल आय होती और उप-खंड (क) के उप-खंड (i) के तहत भेजी जाने वाली सूचना में इस तरह से गणना किए गए अतिरिक्त आय-कर को निर्दिष्ट करें। (1) ;

(ग) जहां उप-धाराओं के तहत कोई धनवापसी देय है। (1) , इस तरह के धनवापसी की राशि को इसके बराबर राशि से कम करें अतिरिक्त आय-कर जिसकी गणना, यथास्थिति, उपखंड (ए) या उपखंड (बी) के तहत की जाती है।

XXX XXX

XXX XXX

(2) जहां धारा 139 के तहत या उप-धाराओं के तहत किसी नोटिस के जवाब में वापसी की गई है। (1) ए. ओ., यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने आय को कम नहीं किया है या अत्यधिक नुकसान की गणना नहीं की है या किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है, तो निर्धारिती को एक सूचना देगा जिसमें उसे उसमें निर्दिष्ट तिथि पर या तो अपने कार्यालय में उपस्थित होने या वहां कोई साक्ष्य पेश करने या वहां पेश करने की आवश्यकता होगी।

जिन पर निर्धारिती विवरणी के समर्थन में भरोसा कर सकता हैः बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत निर्धारिती को उस महीने के अंत से बारह महीने की समाप्ति के बाद कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है।

(3) उप-धारा (2) के तहत जारी सूचना में विनिर्दिष्ट दिन या जितनी जल्दी हो सके, सुनवाई के बाद, ऐसे साक्ष्य जो निर्धारिती पेश कर सकता है और ऐसे अन्य साक्ष्य जो ए. ओ. को निर्दिष्ट बिंदुओं पर चाहिए, और सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने के बाद जो उसने एकत्र की है, ए. ओ., लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन करेगा, और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा।

(4) जहां इस धारा की उप-धारा (3) या धारा 144 के तहत नियमित मूल्यांकन किया जाता है -

रिफंड को निर्धारिती द्वारा देय कर माना जाएगा और इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे। 8.1. 2 इसके बाद, इस मुद्दे पर इस प्रकार विचार किया गयाः

" 8. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी एस के प्रावधानों के अनुसार समायोजन करने के बाद सूचना जारी करने के बाद भी। 143 (1) यदि निर्धारिती यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने कम नहीं किया है तो अधिनियम निर्धारिती से अनुरोध कर सकता है।

आय या अत्यधिक हानि की गणना नहीं की है या किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है। एक बार यह राय बनने के बाद निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती को एक नोटिस देना होगा अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत उसे नोटिस में निर्दिष्ट तिथि पर अपने सामने साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता होती है। अधिनियम की धारा 143 (1) में बचत खंड को देखते हुए इसकी अनुमति है। अधिनियम की धारा 143 (1) का प्रयोग उप-धाराओं के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाना है। (2) अधिनियम की धारा 143। हालांकि, अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी होने के बाद धारा 143 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि उसने स्वयं अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत नियमित मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। कि धारा 143 (2) में धारा 143 (1) के तहत शक्तियों को बचाया नहीं गया है। निर्धारण अधिकारी के रूप में

निर्धारिती से अपने विवरणी में निर्धारिती द्वारा किए गए दावे की शुद्धता या वैधता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने का आह्वान किया है, इसलिए, निर्धारिती को सुनने के बाद और निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य पर विचार करने के बाद ही निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन करते हुए लिखित रूप में आदेश देना होगा और उसे ऐसे मूल्यांकन के आधार पर देय राशि का निर्धारण करना होगा।

अर्थात्, एस के तहत। 143 (3) अधिनियम से। श्री शेलट, ओडीएएफओएनई आइडियाल्ड के विद्वान वकील।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

राजस्व ने निष्पक्ष रूप से कहा कि अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस वापस नहीं लिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत नियमित मूल्यांकन की दिशा में एक कदम है और इसलिए, किसी भी प्रावधान के अभाव में यह किसी अन्य तरीके से मूल्यांकन करने के लिए खुला नहीं है।

अधिनियम की धारा 143 (3)।

10. इसके परंतुक के संदर्भ में मूल्यांकन करने की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है और जब दावा प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य या प्रथम दृष्टया स्वीकार्य हो, जैसा भी मामला हो, तो समायोजन किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया यह शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह पहले होना चाहिए

प्रमाणित किया। बहस योग्य मुद्दे पर किसी निर्णय की परिकल्पना नहीं की गई है। एस के तहत नोटिस जारी करना। 143 (2) अधिनियम का सुझाव है कि निर्धारण अधिकारी ने इसके तहत मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है

अधिनियम की धारा 143 (3)। विभिन्न उप-धाराओं में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए यह स्पष्ट है कि धारा 143 (1) के तहत आदेश एक सारांश है और निर्धारण अधिकारी विवरणी के अवलोकन पर, यानी आय की गणना, इसे स्वीकार करने में सक्षम है जैसा कि उप-धारा के उप-खंड (ए) में इंगित किया गया है या आवश्यक समायोजन के साथ है।

(1) अधिनियम की धारा 143। राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि नोटिस जारी होने के बाद भी अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत, यह आकलन के लिए अनुमत है।

अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत आकलन करने वाले अधिकारी। वापसी में दिखाई गई आय में किए गए समायोजन के परिणामों के कारण दावे की जांच करनी होती है कि क्या इसके परिणामस्वरूप वृद्धि होती है या वापसी में घोषित हानि कम हो जाती है या आय में परिवर्तित हो जाती है। यदि ऐसा है तो इस तरह से बढ़ी हुई आय पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगेगा या इस तरह कम किए गए नुकसान पर 20 प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगेगा जैसे कि यह आय हो और निर्धारिती से अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1ए) के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। यह देखने के लिए कि रिटर्न में करदाता विवरण को सटीकता और शुद्धता के साथ प्रस्तुत करते हैं प्रावधान किया गया है। निर्धारिती प्रावधान के बारे में जानता है और उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर को बचाने के लिए कोई गलत बयान न दिया जाए। तथापि, जब निर्धारण अधिकारी दावे के बारे में शुद्धता का आकलन नहीं कर रहा है जो या तो प्रथम दृष्टया स्वीकार्य है या प्रथम दृष्टया अस्वीकार्य है, और निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारिती ने अत्यधिक नुकसान की गणना नहीं की है या [2020] 11 एस. सी. आर.

किसी भी तरह से कर ने अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी किया है, तो उसके सामने साक्ष्य होना चाहिए और उस साक्ष्य के आधार पर जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, मूल्यांकन अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत किया जाना चाहिए, और निर्धारिती अधिनियम में निर्धारित तरीके से कर के लिए उत्तरदायी होगा यदि वह है

अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत नियमित निर्धारण तब उस मामले में निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 143 (1ए) के अनुसार कर का आकलन करेगा और शुल्क लेगा, जो अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत विचार नहीं किया गया है और इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत जो अनुमत नहीं है, उसे निर्धारण अधिकारी को अधिनियम की धारा 143 (1) का सहारा लेने की अनुमति देकर अनुमेय नहीं बनाया जा सकता है। 16. मामले के इस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 143 (2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद, यह खुला नहीं है।

अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत लेकिन उसे कानून के अनुसार, यानी अधिनियम की धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन करना होगा। 9. ये निर्णय प्रावधानों के संदर्भ में लिए गए थे।

अस्तित्व जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषताएं थीं:

(क) उप-धारा (1क) जिसके संदर्भ में, यदि किसी समायोजन के परिणामस्वरूप कुल आय में वृद्धि हुई थी, तो

अंतर पर 20 प्रतिशत की दर लगाई जाएगी। (ख) उप-धारा (1) के तहत भेजी जाने वाली सूचना को स्पष्ट रूप से "उप-धारा के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" कहा गया था।

(2) . ”

फिर भी, जो बुनियादी अंतर नोट किया गया था वह था: द.

उप-धारा (1) के तहत आदेश संक्षिप्त प्रकृति का था, जबकि

- उप-धारा (2) एक नियमित मूल्यांकन था।

10. तब से अधिनियम की धारा 143 काफी हद तक प्रभावित हुई है। उप-धारा (1) को संशोधित किया गया है और अब समायोजन की स्पष्टता के साथ निर्दिष्ट किया गया है। उप-धारा (1ए) केंद्रीकृत प्रसंस्करण के माध्यम से एन. एस. के प्रसंस्करण पर विचार करती है। चूंकि हम मुख्य रूप से हैंउप ओ. डी. ए. एफ. ओ. एन. ई. आई. डी. ए. एल. टी. डी. के प्रभाव और प्रयोज्यता के साथ वर्तमान मामले में निहित।

सर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.](1 डी) पर उक्त उप-धारा (1 डी) से संबंधित विधायी इतिहास है -

यहाँ नीचे विस्तार सेः

" (1(घ) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, वापसी की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी, जहां एक नोटिस है

निर्धारिती को उप-धारा (2) के तहत जारी किया गया है।

वित्त अधिनियम, 2012 में उप-धारा (1 डी) को शामिल करने से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार थीः

" मौजूदा प्रावधानों के तहत, आय के प्रत्येक विवरणी को धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत संसाधित किया जाना है और कर दाता को देय राशि, यदि कोई हो, वापस की जानी है। आय के कुछ विवरणों को जांच के लिए भी चुना जाता है जिससे करों की मांग बढ़ सकती है, हालांकि उस समय धनवापसी पहले ही जारी की जा चुकी होगी।

प्रसंस्करण।

इसलिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे मामले में वापसी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी जहां धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस दिया गया है। वापसी की जांच के लिए जारी किया गया था।

ख) वित्त अधिनियम, 2016 ने उप-धारा के प्रतिस्थापन और 01.04.2017 से प्रभावी एक परंतुक को सम्मिलित करने पर विचार कियाः

" (1(घ) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले विवरणी का प्रसंस्करण आवश्यक नहीं होगा, जहां उप-धारा (2) के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया हैः

बशर्ते कि इस तरह के रिटर्न को जारी करने से पहले संसाधित नहीं किया जाएगा

उप-धारा (3) के अधीन किसी आदेश का।

" 56. आय कर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत प्रसंस्करण को मूल्यांकन से पहले अनिवार्य किया जाना चाहिएः 56.1 आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1 डी) के मौजूदा प्रावधान के तहत, विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है।

जहाँ उप-धारा के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है।

(2) उक्त खंड का।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

56.2 उपरोक्त धारा की उक्त उप-धारा (1 डी) में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि जिन मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी किया गया है, वहां उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति से पहले विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी जिसमें विवरणी दी गई है। सुसज्जित। हालांकि, आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के तहत आदेश जारी करने से पहले रिटर्न को संसाधित करना अनिवार्य है।

56.3 लागू करने योग्यः यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार मूल्यांकन के संबंध में लागू होगा।

वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्ष। '

सी) उप-धारा (1 डी) का उपरोक्त प्रतिस्थापन, हालांकि, प्रभावी हुआ, जैसा कि वित्त अधिनियम, 2017 में उप-धारा में कहा गया है

फॉर्म को बरकरार रखा गया था और परंतुक के पाठ को भी संशोधित किया गया था। सक्रिय रूप से, 01.04.2017, उप-खंड (1D) और

रोविसो हैंः

" (1(घ) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, विवरणी का प्रसंस्करण आवश्यक नहीं होगा, जहां -

निर्धारिती को उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी किया गया हैः

बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत किसी भी विवरणी पर लागू नहीं होंगे।

अप्रैल 2017 के दिन या उसके बाद।

वित्त अधिनियम, 2017 के लिए संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणी इस प्रकार थीः " 59. निर्धारित समय के भीतर वापसी की प्रक्रिया और सक्षम करना

कुछ मामलों में धनवापसी को रोकना।

59.1 वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधन से पहले, प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1 डी) में निर्दिष्ट किया गया है कि जहां आयकर की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है, वहां विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी।

उक्त खंड। 59.2 उक्त उप-धारा को वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया था और यह प्रावधान किया गया था कि निर्धारण वर्ष 2017-18 से आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत प्रसंस्करण -

मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले किया जाना चाहिए।

ODAFone IDEALTD। (पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

59.3 वास्तविक मामलों में धनवापसी जारी करने में देरी की शिकायत को दूर करने के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 143 (1 डी) में एक परंतुक जोड़ा गया है जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि उक्त उप-धारा के प्रावधान विवरणी के संबंध में लागू नहीं होंगे।

मूल्यांकन वर्ष 2017-18 और उसके बाद के लिए प्रस्तुत।

59.4 हालांकि, राजस्व की वसूली की चिंता को दूर करने के लिए

संदिग्ध मामलों में, आयकर अधिनियम में एक नई धारा 241 ए जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत किए गए विवरणी के लिए, जहां आयकर अधिनियम की धारा 143 (1) के तहत किसी भी राशि का धनवापसी निर्धारिती को देय हो जाता है और निर्धारण अधिकारी की राय है कि धनवापसी का अनुदान राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, वह लिखित रूप में दर्ज कारणों और पिछले विवरण के साथ कर सकता है।

प्रधान आयुक्त या आयुक्त की मंजूरी, उस तारीख तक धनवापसी रोकें जिस दिन मूल्यांकन किया जाता है।

59.5 लागू करने योग्यः ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं और तदनुसार मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत विवरणी पर लागू होते हैं।

वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्ष।

(घ) वित्त अधिनियम, 2017 ने भी अधिनियम में धारा 241 ए को इस प्रकार जोड़ाः

:

" 241 ए. कुछ मामलों में धनवापसी रोकना-प्रत्येक मामले के लिए 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाला निर्धारण वर्ष जहां धारा 143 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत निर्धारिती को किसी भी राशि का रिफंड देय हो जाता है और निर्धारण अधिकारी की राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस तरह के रिटर्न के संबंध में धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है, कि रिफंड के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वह दर्ज किए जाने वाले कारणों से कर सकता है।

लिखित रूप में और प्राचार्य के पूर्व अनुमोदन के साथ

आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ने रोक दिया

मूल्यांकन किए जाने की तारीख तक धनवापसी "।

11. नतीजतन, अधिनियम की 143 की उप-धाराओं (1) से (3) के प्रासंगिक भाग, जो आज हैं, निम्नानुसार हैंः

" 143. मूल्यांकन। — (1) जहां धारा 139 के तहत या धारा 142 की उप-धारा (1) के तहत किसी सूचना के जवाब में विवरणी दी गई है, वहां इस तरह के विवरणी की प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से की जाएगीः

अर्थात्ः

ओ कुल आय या हानि की गणना करने के बाद की जाएगी

समायोजन को कम करना, अर्थात्:

(i) वापसी में कोई अंकगणितीय त्रुटि;

((ii) एक गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा स्पष्ट है

वापसी में कोई भी जानकारी; (iii) पिछले वर्ष की वापसी पर दावा किए गए नुकसान की अस्वीकृति।

धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि; ((iv) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में बताए गए व्यय की अस्वीकृति

लेकिन कुल आय की गणना में ध्यान में नहीं रखा गया

वापसी;

(v) धारा 10-ए. ए., 80-आई. ए., 80-आई. ए. बी., 80-आई. बी., 80-आई. सी., 80-आई. डी. या धारा 80-आई. ई. के तहत दावा की गई कटौती की अस्वीकृति, यदि उप के तहत निर्दिष्ट नियत तिथि के बाद वापसी प्रस्तुत की जाती है

धारा 139 की धारा (1); या

(vi) फॉर्म 26-ए. एस. या फॉर्म 16 में दिखाई देने वाली आय का जोड़

ए या फॉर्म 16 जिसे गणना में शामिल नहीं किया गया है वापसी में कुल आयः

बशर्ते कि ऐसा कोई समायोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऐसे समायोजन की सूचना नहीं दी जाती हैः बशर्ते कि से प्राप्त प्रतिक्रिया

निर्धारिती, यदि कोई हो, पर कोई समायोजन करने से पहले विचार किया जाएगा और ऐसे मामले में जहां कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है।

समायोजन किए जाएँगेः बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी के संबंध में उपखंड (vi) के तहत कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

) कर, ब्याज और शुल्क, यदि कोई हो, की गणना इस आधार पर की जाएगी -

खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय;

) निर्धारिती द्वारा देय राशि या उसके द्वारा देय धनवापसी की राशि का निर्धारण कर, ब्याज और शुल्क के समायोजन के बाद किया जाता है, यदि इसकी गणना खंड (ख) के तहत स्रोत पर काटे गए किसी भी कर द्वारा की जाती है।

(पूर्ववर्ती को वोडाफोन मोबाइल के रूप में पता हैसर्विसेज लिमिटेड) वी. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

स्रोत पर संग्रहित कोई भी कर, भुगतान किया गया कोई भी अग्रिम कर, कोई राहत

धारा 90 या धारा 90-ए के तहत किसी समझौते के तहत स्वीकार्य, या धारा 91 के तहत स्वीकार्य कोई राहत, अध्याय VIII के भाग ए के तहत स्वीकार्य कोई छूट, स्व-मूल्यांकन पर भुगतान किया गया कोई भी कर और कर, ब्याज या शुल्क के रूप में अन्यथा भुगतान की गई कोई भी राशि;

(घ) एक सूचना तैयार की जाएगी या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को खंड (ग) के तहत निर्धारिती द्वारा देय निर्धारित राशि या देय धनवापसी की राशि निर्दिष्ट करते हुए भेजी जाएगी; और

(ङ) खंड (ग) के तहत निर्धारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय धनवापसी की राशि निर्धारिती को दी जाएगीः

बशर्ते कि ऐसे मामले में भी निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित नुकसान को समायोजित किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा कोई कर, ब्याज या शुल्क देय नहीं है, या कोई धनवापसी देय नहीं हैः बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत कोई सूचना वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजी जाएगी।

जिस वर्ष वापसी की जाती है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, (क) "विवरणी में किसी भी जानकारी से स्पष्ट गलत दावा" का अर्थ होगा विवरणी में प्रविष्टि के आधार पर दावा, -

((i) किसी वस्तु की, जो किसी अन्य प्रविष्टि के साथ असंगत है।

ऐसी वापसी में समान या कोई अन्य वस्तु;

((ii) जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत ऐसी प्रविष्टि की पुष्टि करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

सुसज्जित; या

((ग) कटौती के संबंध में, जहां ऐसी कटौती अधिक है।

विनिर्दिष्ट वैधानिक सीमा जिसे इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है

मौद्रिक राशि या प्रतिशत या अनुपात या अंश;

(ख) वापसी की स्वीकृति को माना जाएगा -

ऐसे मामले में सूचना जहां खंड (ग) के तहत निर्धारिती द्वारा कोई राशि देय या वापसी योग्य नहीं है, और जहां खंड (क) के तहत कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(1ए) उप-धारा के तहत रिटर्न के प्रसंस्करण के उद्देश्यों के लिए

(1) , बोर्ड देय कर [2020] 11 एस. सी. आर. का शीघ्र निर्धारण करने की दृष्टि से विवरणी के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए एक योजना बना सकता है।

(1ग) उप-धारा (1ख) के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उप-धारा (1क) के तहत बनाई गई योजना के साथ, जितनी जल्दी हो सके, जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाए।

(1(घ) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,

जहां उप-धारा (2) के तहत निर्धारिती को नोटिस जारी किया गया है, वहां विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगीः

बशर्ते कि इस उप-धारा के प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत किसी भी विवरणी पर लागू नहीं होंगे।

निर्धारण अधिकारी या निर्धारित आय-कर प्राधिकरण, जो भी मामला हो, यदि यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने आय को कम नहीं किया है या अत्यधिक नुकसान की गणना नहीं की है या किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है, तो निर्धारिती को एक सूचना दें जिसमें उसे, उसमें निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, या तो निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने या पेश करने या निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करने की आवश्यकता होती है।

अधिकारी कोई भी साक्ष्य जिस पर निर्धारिती समर्थन में भरोसा कर सकता है

बशर्ते कि इस उप-धारा के तहत निर्धारिती को उस वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने की समाप्ति के बाद कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिसमें विवरणी प्रस्तुत की जाती है। (3) उप-धारा (2) के तहत जारी सूचना में निर्दिष्ट दिन पर, या जितनी जल्दी हो सके, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य और ऐसे अन्य साक्ष्य को सुनने के बाद -

मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट बिंदुओं पर और वोडाफोन आईडीएलटी लेने के बाद आवश्यकता हो सकती है।

(EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए जो उसने एकत्र की है,

निर्धारण अधिकारी, लिखित में एक आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का आकलन करेगा, और उसके द्वारा देय राशि या उसके द्वारा देय किसी भी राशि की वापसी का निर्धारण करेगाः

इस तरह का मूल्यांकन "।

12. धारा 143 की उप-धारा (1) के खंड (ए) में छह उप-खंड हैं जो उन समायोजनों के प्रकारों को निर्दिष्ट करते हैं जिनके लिए किए जाने की आवश्यकता होती है।

कुल आय या हानि की गणना करना। इस तरह के समायोजन "वापसी में अंकगणितीय त्रुटि" की प्रकृति में हैं; गलत दावा "वापसी में किसी भी जानकारी से स्पष्ट"; नुकसान की अस्वीकृति यदि पिछले वर्ष की वापसी जिसके संबंध में इस तरह के नुकसान का दावा किया गया है, प्रस्तुत किया गया था।

" नियत तिथि के बाद "; लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित व्यय की अस्वीकृति यदि उसने" कुल गणना में ध्यान में नहीं रखा है।

आय "; उपखंड में निर्दिष्ट कटौती की अस्वीकृति यदि" नियत तिथि के बाद विवरणी प्रस्तुत की जाती है "; और उपखंड (vi) में निर्दिष्ट आय का जोड़ यदि यह" कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया था "। ये सभी विशेषताएं उन मामलों से संबंधित हैं जो वापसी से स्पष्ट हैं। और असंगति इसके चेहरे पर स्पष्ट है। निर्धारिती को उचित सूचना या सूचना के बाद इस तरह के समायोजन करने पर, कर, ब्याज और शुल्क के तत्व की गणना खंड (बी) के संदर्भ में की जानी है। इसके बाद, खंड (ग) के संदर्भ में, भुगतान की गई कर राशि का देय ऋण और कोई भी राहत जो स्वीकार्य है, दी जानी है और देय या वापस की जाने वाली शुद्ध राशि की गणना की जानी है। खंड (घ) के तहत उत्पन्न की जाने वाली सूचना इस तरह के अभ्यास के आधार पर है और यदि कोई धनवापसी देय है, तो उसे खंड (ङ) के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, उप-धारा (1) के प्रत्येक चरण में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी -

आधार, जिसके संबंध में, यदि कोई विसंगतियां संदर्भित हैं खंड (क) के विभिन्न उपखंडों में उचित समायोजन पाए जाते हैं।

बनाया जाना है।

दूसरी ओर, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति का प्रयोग, जिससे उसकी उप-धारा (3) का आदेश पारित किया जा सके, किया जाना है, जहां यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन माना जाता है कि निर्धारितीः

- आय को कम नहीं किया है, या

  अत्यधिक हानि की गणना नहीं की है, या

- किसी भी तरह से कर का कम भुगतान नहीं किया है।

नोटिस जारी करना और उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही पूर्व निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त तीन अभिधारणाओं में से किसी एक पर। दूसरे शब्दों में, दाखिल की गई विवरणी [2020] 11 एस. सी. आर.

निर्धारिती स्वयं आगे की जांच और गहन विचार की मांग करता है या उसकी आवश्यकता होती है। मार्गदर्शक सिद्धांत यह सुनिश्चित करना है कि आय कम बताई गई है या नुकसान अधिक नहीं बताया गया है, या कर किसी भी तरह से कम भुगतान नहीं किया गया है। नोटिस जारी होने पर, निर्धारिती अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का हकदार होता है। निर्धारिती को सुनने और इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद, लिखित आदेश द्वारा, कुल आय या हानि का आकलन किया जाना है। 13. इस प्रकार उप-धारा (1) के अधीन शक्ति के प्रयोग की प्रकृति, जबकि उप-धारा (2) और (3) के अधीन शक्ति के प्रयोग की प्रकृति पूरी तरह से अलग है। पूर्व मामले में, मामले को संसाधित किया जाता है, केवल यह जांचने के लिए कि क्या वापसी के चेहरे पर कोई स्पष्ट विसंगतियां स्पष्ट हैं और

संबंधित सामग्री जिसमें किसी भी समायोजन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि बाद के मामले में, ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जाती है जो निर्धारिती प्रस्तुत कर सकता है। बाद के मामले में यह सुनिश्चित करने की कवायद की जाती है कि आय में कोई कमी न हो या नुकसान की अधिकता न हो या किसी भी तरह से कर का भुगतान न हो। दूसरे शब्दों में, वापसी से केवल स्पष्ट विसंगतियों पर विचार करने के बजाय वापसी की सत्यता की जांच की जाती है। इस प्रकार, इन दो प्रावधानों के तहत शक्ति की प्रकृति, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा सी. आई. टी. v. में पाया गया है। गुजरात विद्युत बोर्ड को भी यही विशिष्टता प्राप्त है।

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत शक्ति प्रकृति में संक्षिप्त है जो समायोजन करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो स्पष्ट हैं।

जबकि उप-धारा (2) और (3) के तहत विवरणी की जांच करना और निर्धारिती के दायित्व के सही निर्धारण पर पहुंचने के लिए गहरी जांच करना है।

14. इस प्रकार अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराओं (2) और (3) के तहत शक्ति का प्रयोग इस बात की अस्वीकृति पर आधारित है कि क्या है

वापसी से ही स्पष्ट होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी तरह से कर से कोई बचाव न हो। इस तरह की शक्ति का आयाम वापसी से जो उपलब्ध है, उसके संबंध में किए जाने वाले केवल समायोजन से कहीं अधिक बड़ा और गहरा है। एक बार जब इस तरह की जांच की जाती है और धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की जाती है, तो यह विसंगत और असंगत होगा कि इस तरह की कार्यवाही के दौरान

शुरू किए गए कार्य लंबित हैं, वापसी को धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत संसाधित किया जाना चाहिए, जिसमें किसी दिए गए मामले में धनवापसी का भुगतान शामिल हो सकता है। तार्किक रूप से, नोटिस के माध्यम से शुरू की गई कवायद का परिणाम धारा 143 की उप-धारा (2) को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कोई धनवापसी देय और देय है। यदि वापसी स्वयं जांच और जांच के दायरे में है, तो ऐसा वोडाफोन आईडीएलटी।

(EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

जब तक इस तरह की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वापसी के दावे को बनाए रखने के लिए वापसी आधार नहीं हो सकती है। धारा 143 के इन दो अंगों के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत वापसी की प्रक्रिया को धारा 143 की उप-धारा (2) और (3) के तहत जांच मूल्यांकन की शक्ति के आगे के प्रयोग की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत शक्ति कानून द्वारा ज्ञात तरीके से शुरू की जाती है, तो कोई भी

इस बात पर जोर देना कि धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत प्रक्रिया पूरी की जाए और धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार जांच से पहले धनवापसी की जाए।

15. ऊपर बताए गए निष्कर्ष को मजबूत और मजबूत किया गया है

धारा 143 की उप-धारा (1 डी) में इस आशय की स्पष्ट शर्त। उक्त प्रावधान के पाठ में कुछ बदलाव के बावजूद, जिसे वित्त अधिनियम 2016 द्वारा पेश करने की मांग की गई थी और जिसे वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इस अभिव्यक्ति से विधायी इरादा स्पष्ट है, ". विवरणी की प्रक्रिया आवश्यक नहीं होगी, जहां एक सूचना दी गई है।

निर्धारिती को उप-धारा (2) के तहत और गैर-अवरोधक खंड के उपयोग द्वारा जारी किया गया। हालाँकि वह अवधि जिसके लिए प्रक्रिया करना आवश्यक नहीं होगा

वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा विवरणी निर्दिष्ट करने की मांग की गई थी, प्रावधान में ऐसी अवधि की अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता जैसा कि आज है। गैर-अवरोधक खंड के प्रावधान और उपयोग से उपरोक्त उद्धृत भाग पर्याप्त स्पष्टता के साथ संसद के इरादे को इंगित करता है कि जिन मामलों में उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी किया जाता है और कार्यवाही शुरू की जाती है, वहां उप-धारा (1) के तहत विवरणी का प्रसंस्करण नहीं किया जाएगा।

आवश्यक है।

16. "आवश्यक नहीं होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग विभिन्न कानूनों और यहां तक कि भारत के संविधान में भी किया जाता है। इस अभिव्यक्ति का उपयोग अनुच्छेद 311 (2) के पहले प्रावधान और भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 (3) के प्रावधान में किया गया है। कुछ मामले जिनमें समान अभिव्यक्ति होती है विधियों में होने वाली घटना को ध्यान में रखा गया और इसकी सरल भाषा को प्रभावी बनाया गयाः

i) मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 63 (3) का प्रावधान-मोहम्मद में। इब्राहिम बनाम। राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण,

मद्रास। 8

(ii) सोहनलाल और अन्य में सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXX नियम 4 v. अमीर चंद और बेटे और अन्य ', ऊपरी भारत

8 (1970) 2 एससीसी 233

9 (1973) 2 एससीसी 608 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केबल कं. और अन्य बनाम। बाल किशन 1 और बृज किशोर में

शर्मा और अन्य बनाम। राम सिंह और बेटे और अन्य 1 1. iii) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 का प्रावधान-रासम्मल इस्सेथीरामल फर्नांडीज आदि में। जूसा मरियम

फर्नांडीस और अन्य 1 2.

सामान्य सिद्धांत के विपरीत, जो एक विशेष तरीके से एक कार्रवाई को अनिवार्य करता है, जब एक अपवाद बनाया जाना है, तो प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना और उसका पालन करना "आवश्यक नहीं होगा"।

इस तरह के सामान्य सिद्धांत द्वारा अनिवार्य तरीका; और यदि इस तरह के अपवाद द्वारा विचार की गई आकस्मिकता उत्पन्न होती है, तो सामान्य सिद्धांत ओवरराइड होना है।

17. धारा 143 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले सामान्य सिद्धांत को ओवरराइड करने का इरादा, ऐसे मामले में जहां कार्यवाहियां अधिनियम की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार शुरू किया जाता है, उप-धारा में गैर-निषेध खंड के उपयोग से अधिक स्पष्ट और जोर दिया जाता है।

खंड (1 डी)। हाल ही में, प्रांतीय लघु कारण न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 26 (1) में गैर-अबाधित खंड पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने वैशाली अभिमन्यु जोशी बनाम. नानासाहेब गोपाल जोशी 1 3 निम्नानुसारः

" 33. " इस अधिनियम में कहीं और कुछ भी निहित होने के बावजूद, जैसा कि 1887 के अधिनियम की धारा 26 (1) में उपयोग किया गया है, अधिनियम में निहित विपरीत प्रावधानों को शामिल करने वाले व्यापक आयाम की अभिव्यक्ति के शब्द हैं। याचिकाकर्ता के अनावश्यक लाइसेंस को कथित रूप से समाप्त करने के बाद एक लाइसेंसधारक के रूप में अपने अधिकार को लागू करने के लिए वादी द्वारा विचाराधीन मुकदमा दायर किया गया है। एक सादे पठन पर, अनुसूची II की मद 11 में अचल संपत्ति में ऐसे किसी भी अधिकार या हित का निर्धारण या प्रवर्तन शामिल है। लेकिन धारा के आधार पर 26 उप-धारा (1) जैसा कि महाराष्ट्र राज्य में लागू होता है, अनुसूची II की मद 11 को धारा 26 (1) को रास्ता देना होता है और लाइसेंसकर्ता और लाइसेंसधारक के बीच एक मुकदमा जो वस्तुतः अचल संपत्ति की वसूली के लिए एक मुकदमा है, न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय में पूरी तरह से बनाए रखने योग्य है, यही कारण है कि वादी द्वारा न्यायाधीश, लघु कारण न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें न्यायाधीश में अधिकार और हित का दावा किया गया है।

अचल संपत्ति।

10 (1984) 3 एस. सी. सी. 462 1 1 (1996) 11 एस. सी. सी. 480 12 (2000) 7 एस. सी. सी. 189 13 (2017) 14 एस. सी. सी. 373 वोडाफोन आदर्श।

(EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

35. गैर-बाध्यकारी खंड वाले वैधानिक प्रावधान को पूरी तरह से प्रभावी बनाया जाना चाहिए। भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। जी. एम. कोकिल 1 4 पैरा 11 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: (एस. सी. सी पी. 203)

" 11. ..... यह सर्वविदित है कि गैर-अवरोधक खंड एक विधायी उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर कुछ विपरीत प्रावधानों पर कुछ प्रावधानों को ओवरराइडिंग प्रभाव देने के लिए किया जाता है जो या तो उसी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम में पाए जा सकते हैं, अर्थात सभी विपरीत प्रावधानों के संचालन और प्रभाव से बचने के लिए। इस प्रकार गैर-अवरोधक खंड में

धारा 70, अर्थात्, "उस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद" का अर्थ उस अधिनियम में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद होना चाहिए और इस तरह से इसका उल्लेख छूट देने वाले को करना चाहिए।

प्रावधान जो सामान्य के विपरीत होंगे

अधिनियम की प्रयोज्यता।

18. परिसर में, हम मानते हैं कि 31 मार्च 2017 को या उससे पहले समाप्त होने वाले मूल्यांकन वर्षों के संबंध में, यदि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (2) में बताई गई आवश्यकताओं के अनुरूप कोई नोटिस जारी किया गया था, तो अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत धनवापसी की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी और यह कि वापसी ओवरराइड होगी।

धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार कार्यवाही अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के संदर्भ में वापसी की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी। अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1 ए) के संदर्भ में वापसी का प्रसंस्करण केंद्रीकृत प्रसंस्करण के माध्यम से किया जाना है और जैसा कि पहले कहा गया है, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत प्रसंस्करण का दायरा विशुद्ध रूप से संक्षिप्त है।

किसी भी तरह से, उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करना ही पर्याप्त है। संकेत। अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1 डी) में ऐसी कोई सूचना जारी करने या इसे आगे लागू करने पर विचार नहीं किया गया है कि

प्रसंस्करण को स्थगित रखा जाना चाहिए। इसलिए, एक अलग सूचना भेजने की आवश्यकता को उक्त प्रावधान में पढ़ना उचित नहीं होगा। हमारे विचार में, धारा की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करना।

14 (1984) सप.

143 आवश्यक परिणाम को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त है। किसी अन्य सूचना पर न तो क़ानून द्वारा विचार किया गया है और न ही यह किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

20. नतीजतन, यह निवेदन कि 23.07.2018 दिनांकित सूचना को अमान्य माना जाना चाहिए, इस आधार पर कि यह उस अवधि के बाद जारी किया गया था जिसके भीतर अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत विवरणी को संसाधित करने की आवश्यकता थी, को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

21. हालाँकि, जहाँ तक 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के संबंध में दाखिल किए गए विवरणों का संबंध है, संसद द्वारा एक अलग व्यवस्था पर विचार किया गया है। अधिनियम की धारा 241-ए में निर्धारण अधिकारी की ओर से संतुष्टि की एक अलग रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होती है।

कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 143 की उप धारा (2) के तहत एक नोटिस जारी किया गया है, धनवापसी के अनुदान से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; जिसके बाद, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से धनवापसी को रोका जा सकता है। चूँकि क़ानून में अब एक विशेष तरीके से धनवापसी रोकने की शक्ति का प्रयोग करने की परिकल्पना की गई है, इसलिए यह बिना कहे चला जाता है कि 01.04.2017 के बाद शुरू होने वाले मूल्यांकन वर्ष के लिए धारा 241-ए की आवश्यकताएँ।

अधिनियम को संतुष्ट किया जाना चाहिए।

22. इसलिए, हमें यह देखना होगा कि जहां तक ए. वाई. 2017-18 का संबंध है, 14.03.2019 दिनांकित आदेश आवश्यक वैधानिक मापदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं।

अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के संदर्भ में उक्त उप-धारा के तहत आवश्यक सूचना दी जानी चाहिए।

उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति से पहले जिसमें वापसी की जाती है। ए. वाई. 2017-18 के संबंध में, रिटर्न 25.11.2017 पर दाखिल किया गया था, उक्त दूसरे परंतुक के संदर्भ में उपलब्ध अवधि 31.03.2019 तक थी, इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि संशोधित रिटर्न 13.07.2018 पर दाखिल किया गया था।

वर्तमान मामले में, 14.03.2019 पर शक्ति का प्रयोग केवल धारा 143 की उप-धारा (2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद नहीं था और

अधिनियम की धारा 241-ए के संदर्भ में उचित संतुष्टि दर्ज करने के बाद, लेकिन उचित सूचना देने के लिए अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) द्वारा विचार की गई अवधि के भीतर भी था।

वोडाफोन आइडियल. (EARLIER को वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में पता है।) v. अधिनियम चक्र 26 (2) [उदय उमेश ललित। जे.]

क्या अधिनियम की उक्त धारा 241-ए के संदर्भ में दर्ज की गई संतुष्टि अन्यथा सही थी या नहीं और क्या रोक लगाने का मामला है

चूंकि आवश्यक कार्रवाई भी शुरू नहीं की गई है, इसलिए हम उस संबंध में कुछ नहीं कहते हैं। परिसर में, हम निर्देश देते हैं कि Rs.733 करोड़ की राशि आज से चार सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को वापस कर दिया जाएगा, बशर्ते कि राजस्व कानून के अनुसार किसी भी कार्यवाही को शुरू करना उचित समझे। हम उत्तरदाताओं को यह निष्कर्ष निकालने का भी निर्देश देते हैं कि

धारा की उप-धारा (2) के तहत नोटिस के अनुसार शुरू की गई कार्यवाही

143 यथाशीघ्र ए. वाई. 2016-17 और 2017-18 के संबंध में अधिनियम।

24. ऊपर बताए गए निर्देशों के अलावा, हम अपीलार्थी द्वारा दिए गए किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। यह अपील है,

इसलिए, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया।

देविका गुजराल

याचि

का खारिज कर दी गई।